

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 498]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 3 सितम्बर 2024 — भाद्रपद 12, शक 1946

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 20 अगस्त 2024

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-41/2020/38-2.— छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पत्र क्रमांक 10207/प्र. परि. एवं प्र.अध्या./2020/20495, दिनांक 26-07-2024 द्वारा श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ग्राम—जुनवानी, भिलाई, जिला—दुर्ग (छत्तीसगढ़) के अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 82 का अनुमोदन छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 29 (2) के तहत किया गया है।

- राज्य शासन, एतद्द्वारा, उपरोक्त अध्यादेश को राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है।
- उपरोक्त अध्यादेश 1 जुलाई, 2024 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.पी. पाण्डेय, उप-सचिव.

विश्वविद्यालय का नाम: श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, भिलाई

अध्यादेश क्रमांक: 82

इस अध्यादेश को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत यूजीसी, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी **सर्टिफिकेट**, डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए अध्यादेश कहा जाएगा, सिवाय बीसीआई, पीसीआई, एमसीआई, आईसीएआर या किसी विशिष्ट कार्यक्रम से संबंधित किसी अन्य नियामक निकाय द्वारा शासित/विनियमित/अनुमोदित कार्यक्रमों के।

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

- 1.1 अध्यादेश को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत यूजीसी, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी **सर्टिफिकेट**, डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए अध्यादेश कहा जाएगा, सिवाय बीसीआई, पीसीआई, एमसीआई, आईसीएआर या किसी विशिष्ट कार्यक्रम से संबंधित किसी अन्य नियामक निकाय द्वारा शासित/विनियमित/अनुमोदित को छोड़कर।
- 1.2 यह अध्यादेश शैक्षणिक सत्र 2024-25 से लागू होगा।
- 1.3 अध्यादेश का प्रावधान श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल विश्वविद्यालय के परिनियम संख्या 08 के अनुसार अनुमोदित तीन वर्षीय (छह सेमेस्टर) स्नातक डिग्री या चार वर्षीय (आठ सेमेस्टर) स्नातक डिग्री (ऑनर्स/रिसर्च के साथ ऑनर्स), एक वर्षीय /दो वर्षीय मास्टर डिग्री कार्यक्रम पर लागू होगा, सिवाय बीसीआई, पीसीआई, एमसीआई, आईसीएआर या किसी विशिष्ट कार्यक्रम से संबंधित किसी अन्य नियामक संस्था द्वारा शासित/विनियमित/अनुमोदित के।

Table: 1

क्रमांक	संकाय	शीर्षक
1	कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी संकाय	● कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक (बी.सी.ए.)
2		● कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर (एम.सी.ए.)
3		● डाटा साइंस में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पी.जी.डी.डी.एससी)
4		● कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पी.जी.डी.डी.ए.)
5		● पीएच.डी.
6	कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी संकाय एवं अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संकाय	● प्रौद्योगिकी में स्नातक (बी.टेक.)
7		● प्रौद्योगिकी में स्नातक (ऑनर्स) बी.टेक. (ऑनर्स)
8		● प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर (एम.टेक.)
9		● पीएच.डी.
10	लाईफ साइंस संकाय	● विज्ञान में स्नातक-आनर्स (बी.एससी.आनर्स)
11		● विज्ञान में स्नातक (बी.एससी.)
12		● विज्ञान में स्नातकोत्तर (एम.एससी.)
13		● पीएच.डी.

क्रमांक	संकाय	शीर्षक
14	विज्ञान संकाय	● विज्ञान में स्नातक (फैशन डिजाइन) बी.एससी. (एफ.डी)
15		● विज्ञान में स्नातकोत्तर (फैशन डिजाइन) एम.एससी. (एफ.डी.)
16		● विज्ञान में स्नातक (बी.एससी.)
17		● विज्ञान में स्नातक-आनर्स (बी.एससी.आनर्स)
18		● विज्ञान में स्नातकोत्तर (एम.एससी.)
19		● फैशन डिजाइन में डिप्लोमा (डी.एफ. डी.)
20		● इंटीरियर डिजाइन में स्नातक बी.एससी. (आई.डी.)
21		● फैशन डिजाइन में स्नातकोत्तर एम.एससी. (आई.डी.)
22		● पीएच.डी.
23		व्यवसाय प्रबंधन एवं वाणिज्य संकाय
24	● व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर (एम.बी.ए.)	
25	● व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर (एम.बी.ए.) अंशकालीन	
26	● वाणिज्य में स्नातक (बी.कॉम.)	
27	● वाणिज्य में स्नातक (ऑनर्स) बी.कॉम. (ऑनर्स)	
28	● वाणिज्य में स्नातकोत्तर (एम.कॉम.)	
29	● व्यवसाय प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पी.जी.डी.बी.एम.)	
30	● पीएच.डी.	
31	शिक्षा संकाय	● शिक्षा और खेल में स्नातक (बी.पी.इ.एस.)
32		● शिक्षा और खेल में स्नातकोत्तर (एम.पी.इ.एस.)
33		● विज्ञान में स्नातकोत्तर-स्पोर्ट्स कोचिंग (एम.एससी.-एस)
34		● स्पोर्ट्स कोचिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पी.जी.डी.एस.सी.)
35		● स्पोर्ट्स कोचिंग में सर्टिफिकेट (सी.एस.सी.)
36		● प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.इएल.एड.)
37		● नर्सरी शिक्षक प्रशिक्षण में डिप्लोमा (डी.एन.टी.टी.)
38		● मार्गदर्शन एवं परामर्श में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पी.जी.डी.जी.सी.)
39		● कला में स्नातकोत्तर-शिक्षा (एम.ए.-एजुकेशन)
40		● कला में स्नातक (योग) बी.ए. (योग)
41		● कला में स्नातकोत्तर (योग) एम.ए. (योग)
42		● योग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पी.जी.डी.वाय.)
43		● पीएच.डी.

क्रमांक	संकाय	शीर्षक
44	होटल प्रबंधन एवं अतिथि सत्कार संकाय	● विज्ञान में स्नातक (हॉटेल प्रबंधन और केटरिंग साइंस) (बी.एससी.-एच.एम.सी.एस.)
45		● हॉटेल मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी में स्नातक (बी.एच.एम.सी.टी)
46		● हॉटेल मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी में स्नातक (एम.एच.एम.सी.टी)
47		● सत्कार और हॉटेल प्रबंधन में डिप्लोमा (डी.एच.एच.एम.)
48		● सत्कार और हॉटेल प्रबंधन में सर्टिफिकेट (सी.एच.एच.एम.)
49		● व्यवसाय प्रशासन में स्नातक (पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन) बी.बी.ए.
50		● व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर (पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन) एम.बी.ए.
51		● पीएच.डी.
52	सामाजिक विज्ञान संकाय	● सामाजिक कार्य में स्नातक (बी.एस.डब्ल्यू.)
53		● सामाजिक कार्य में स्नातक (एम.एस.डब्ल्यू)
54		● पीएच.डी.
55	कला संकाय	● कला में स्नातक बी.ए. / बी.ए. (एच)
56		● कला में स्नातकोत्तर, एम. ए.
56		● पत्रकारिता में स्नातक (बी.जे.)
58		● पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (एम.जे.)
59		● कला में स्नातक (पत्रकारिता एवं जनसंचार) बी.ए. (पत्रकारिता एवं जनसंचार)
60		● कला में स्नातकोत्तर (पत्रकारिता एवं जनसंचार) एम.ए. (पत्रकारिता एवं जनसंचार)
61		● पीएच.डी.
62	पुनर्वास विज्ञान संकाय	● शिक्षक में स्नातक (स्पेशल एजुकेशन) (बी.एड.स्पे.ईडी.)
63		● पीएच.डी.

2. परिभाषा एवं मुख्य शब्द

2.1 "अधिनियम" का तात्पर्य छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 एवं उसके बाद के संशोधनों से है।

2.2 "विश्वविद्यालय" का अर्थ है छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 के तहत स्थापित श्री शंकरायार्य प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़।

- 2.3 "छात्र" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसे श्री शंकरार्य प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा समय-समय पर स्नातकस्नातकोत्तर डिग्री और स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए तय की गई प्रक्रिया के अनुसार इस विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश दिया गया है।
- 2.4 "च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस)" का तात्पर्य एक ऐसा कार्यक्रम है जो छात्रों को यूजीसी/संबंधित नियामक निकाय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित पाठ्यक्रमों (कोर कोर्स, अनिवार्य पाठ्यक्रम, प्रोफेशनल कोर, प्रोफेशनल इलेक्टिव, ओपन इलेक्टिव, माइनर ट्रैक, वैल्यू एडेड, स्किल एन्हांसमेंट कोर्स आदि) में से चुनने का विकल्प प्रदान करता है। जहाँ भी लागू हो और विश्वविद्यालय के उपयुक्त निकायों द्वारा अनुमोदित हो।
- 2.5 "पाठ्यक्रम" का अर्थ वितरण के विभिन्न तरीकों के माध्यम से "पेपर" से है तथा यह किसी कार्यक्रम का एक घटक है, जैसा कि संबंधित कार्यक्रम संरचना में विस्तृत रूप से बताया गया है।
- 2.6 "क्रेडिट प्वाइंट" का अर्थ किसी पाठ्यक्रम के लिए ग्रेड प्वाइंट और क्रेडिट की संख्या का उत्पाद है।
- 2.7 "क्रेडिट" का अर्थ है एक इकाई जिसके द्वारा कोर्स वर्क को मापा जाता है। यह प्रति सप्ताह आवश्यक निर्देशों के घंटों की संख्या निर्धारित करता है। एक क्रेडिट प्रति सप्ताह एक घंटे की पढ़ाई (व्याख्यान, ट्यूटोरियल या सेमिनार) या प्रति सप्ताह दो घंटे के व्यावहारिक कार्य/क्षेत्र कार्य/प्रोजेक्ट आदि के बराबर होता है। प्रत्येक कोर्स के लिए क्रेडिट की संख्या संबंधित परीक्षा योजना में परिभाषित की जाएगी।
- 2.8 "संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत (सीजीपीए)" का अर्थ है सभी सेमेस्टर में एक छात्र के समग्र संचयी प्रदर्शन का माप। ब्ळ्च संबंधित सेमेस्टर तक पंजीकृत विभिन्न पाठ्यक्रमों में एक छात्र द्वारा प्राप्त कुल क्रेडिट प्वाइंट और संबंधित सेमेस्टर में सभी पंजीकृत पाठ्यक्रमों के कुल क्रेडिट प्वाइंट के योग का अनुपात है। इसे दो दशमलव स्थानों तक व्यक्त किया जाएगा।
- 2.9 "सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट एवरेज (एसजीपीए)" का अर्थ है किसी विशेष सेमेस्टर में छात्र के प्रदर्शन का माप। यह एक सेमेस्टर में पंजीकृत विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्र द्वारा प्राप्त कुल क्रेडिट अंकों और उस सेमेस्टर में सभी पाठ्यक्रमों के कुल क्रेडिट का अनुपात है। इसे दो दशमलव स्थानों तक व्यक्त किया जाएगा।
- 2.10 "ग्रेडवाइंट" का अर्थ है 10-प्वाइंट स्केल पर या समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक अक्षर ग्रेड के लिए आवंटित संख्यात्मक भार।
- 2.11 "लेटर ग्रेड" का अर्थ किसी पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रदर्शन का सूचकांक है। ग्रेड को O, A+, A, B+, B, C, P" और F अक्षरों से दर्शाया जाता है। का अर्थ है किसी पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रदर्शन का सूचकांक। ग्रेड को O, A+, A, B+, B, C, P, F और AB अक्षरों से दर्शाया जाता है।
- 2.12 "सेमेस्टर" का अर्थ 12-15 सप्ताह के शिक्षण कार्य में फैला एक शैक्षणिक सत्र है। विषम सेमेस्टर आमतौर पर जुलाई से दिसंबर तक और सम सेमेस्टर जनवरी से जून तक निर्धारित किया जा सकता है।
- 2.13 "ग्रेड शीट" का अर्थ अर्जित ग्रेड के आधार पर एक सर्टिफिकेट है। प्रत्येक सेमेस्टर के बाद परीक्षा के लिए पंजीकृत सभी छात्रों को ग्रेड शीट जारी की जाएगी। ग्रेड शीट में पाठ्यक्रम विवरण (कोड, शीर्षक, क्रेडिट की संख्या, ग्रेड सुरक्षित) के साथ-साथ सेमेस्टर का एसजीपीए और उस सेमेस्टर तक अर्जित सीजीपीए शामिल होगा। अंतिम सेमेस्टर ग्रेड शीट में आवंटित अधिकतम अंकों में से सभी

सेमेस्टर में छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का संचयी योग भी प्रतिबिंबित होगा, जिसके लिए पाठ्यक्रम के ग्रेड का मूल्यांकन किया गया था। हालाँकि, अंतिम परिणाम ग्रेड/सीजीपीए पर आधारित होगा।

- 2.14 "प्रतिलेख"** का अर्थ पाठ्यक्रम के सफल समापन के बाद पाठ्यक्रम में सभी नामांकित छात्रों को जारी किया गया सर्टिफिकेट है। इसमें सभी सेमेस्टर का एसजीपीए और सीजीपीए शामिल है।
- 2.15 "एनईपी"** का मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 है।
- 2.16 "एनएसक्यूएफ"** का अर्थ एनईपी 2020 में परिभाषित राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा है।
- 2.17 "एनएचईक्यूएफ"** का अर्थ एनईपी 2020 में परिभाषित "एनएचईक्यूएफ" राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता ढांचा है।
- 2.18 "यूसीएफ"** का अर्थ एनईपी 2020 में परिभाषित एकीकृत क्रेडिट स्तर है।
- 2.19 "अंडरग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स"** का अर्थ है वे छात्र जिन्होंने एनएचईक्यूएफ स्तर 5/यूसीएफ स्तर 4.5 की आवश्यकता पूरी कर ली है।
- 2.20 "अंडरग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स"** का अर्थ है वे छात्र जिन्होंने एनएचईक्यूएफ स्तर 5/यूसीएफ 6 की आवश्यकता पूरी कर ली है।
- 2.21 "बैचलर डिग्री"** का अर्थ है वे छात्र जिन्होंने एनएचईक्यूएफ स्तर 5.5 /यूसीएफ स्तर 7 की आवश्यकता पूरी कर ली है।
- 2.22 "बैचलर डिग्री (ऑनर्स/रिसर्च)"** का अर्थ है वे छात्र जिन्होंने एनएचईक्यूएफ स्तर 6/यूसीएफ स्तर 8 की आवश्यकता पूरी कर ली है।
- 2.23 "पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स"** 2-वर्षीय पीजी: 3-वर्षीय यूजी पाठ्यक्रम के बाद 2 वर्षीय पीजी में प्रवेश करने वाले छात्र या 1 वर्षीय पीजी : 4 वर्षीय यूजी कार्यक्रम के बाद 1 वर्षीय पीजी में प्रवेश करने वाले छात्र ऑनर्स/रिसर्च के साथ।
- 2.24 "पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स"** पीजी पाठ्यक्रम के लिए, दो-वर्षीय पीजी पाठ्यक्रम में शामिल होने वालों के लिए केवल एक निकास बिंदु होगा। प्रथम वर्ष के अंत में बाहर निकलने वाले छात्रों को स्नातकोत्तर डिप्लोमा से प्रदान किया जाएगा।
- 2.25 "पाठ्यक्रम पंजीकरण"** का तात्पर्य उचित रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय में संकाय सलाहकार (जिसे संरक्षक, परामर्शदाता, कक्षा शिक्षक आदि भी कहा जाता है) की देखरेख में प्रत्येक छात्र द्वारा प्रत्येक सेमेस्टर में अध्ययन के पाठ्यक्रमों में पंजीकरण को संदर्भित करता है।
- 2.26 "पाठ्यक्रम मूल्यांकन"** शिक्षण-सीखने प्रक्रिया की प्रक्रिया के प्रभाव के माप का प्रतिनिधित्व करता है और पाठ्यक्रमों और शिक्षण प्रदर्शन में सीखने की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक अवसर प्रदान करता है। पाठ्यक्रम मूल्यांकन परीक्षण, प्रश्नोत्तरी, असाइनमेंट इत्यादि जैसे विभिन्न तरीकों को अपनाकर शिक्षण-सीखने की अवधि के दौरान पाठ्यक्रम सामग्री के कुछ मॉड्यूल या अध्यायों के अंत में और सेमेस्टर का अंत। जबकि मूल्यांकन के पूर्व भाग को सतत आंतरिक मूल्यांकन कहा जाता है और मूल्यांकन के बाद के भाग को अंतिम सेमेस्टर मूल्यांकन कहा जाता है।
- 2.27 "क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम संरचना"** प्रत्येक पाठ्यक्रम में क्रेडिट की एक निर्धारित संख्या होती है। क्रेडिट पाठ्यक्रम संरचना पर आधारित होते हैं, जिसमें शिक्षण मोड और व्याख्यान, ट्यूटोरियल और व्यावहारिक कक्षाओं के लिए संपर्क घंटों की संख्या शामिल है। क्रेडिट संपर्क घंटों की संख्या, पाठ्यक्रम सामग्री और शिक्षण पद्धति और आवंटित अधिकतम अंकों पर आधारित होते हैं। क्रेडिट विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए जाएंगे। क्रेडिट की गणना निम्नानुसार की जा सकती है :
- 12-15 सप्ताह तक प्रति सप्ताह एक घंटे का सिद्धांत/ ट्यूटोरियल दो घंटे का प्रयोगशाला कार्य जिसके परिणामस्वरूप एक क्रेडिट प्रदान किया जाएगा।

- इंटरनशिप के लिए क्रेडिट प्रशिक्षण के प्रति सप्ताह एक क्रेडिट होगा, जो एक सेमेस्टर में अधिकतम छह क्रेडिट के अधीन होगा।
- परियोजना/निबंध: 12–15 सप्ताह तक प्रति सप्ताह दो घंटे का परियोजना/अनुसंधान कार्य जिसके परिणामस्वरूप एक क्रेडिट प्रदान किया जाएगा।

2.28 "एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी)" एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी), एक राष्ट्रीय स्तर की सुविधा है जो उचित "क्रेडिट ट्रांसफर" तंत्र के साथ देश में उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में छात्रों के पाठ्यक्रम ढांचे के लचीलेपन और अंतःविषय/बहुविषयक शैक्षणिक गतिशीलता को बढ़ावा देगी।

2.29 "मल्टीपल एंट्री एवं एग्जिट" "मल्टीपल एंट्री -एग्जिट" का अर्थ है एचईआई में पेश किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रमों में कई प्रविष्टियां और निकास बिंदु जो कठोर सीमाओं को हटा देंगे और छात्रों के लिए नई संभावनाएं पैदा करेंगे। ऐसे अवसर आते हैं जब विभिन्न कारणों से विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़नी पड़ती है। निर्धारित अवधि के भीतर लचीली शिक्षा की सुविधा के लिए, जरूरतमंद छात्रों को कई निकास और प्रवेश विकल्प दिए जाते हैं। छात्र केवल सम सेमेस्टर (दूसरे, चौथे और छठे सेमेस्टर) के अंत में ही पाठ्यक्रम से बाहर निकल सकता है और छात्रों को विषम सेमेस्टर (तीसरे, पांचवें और सातवें सेमेस्टर) की शुरुआत में प्रवेश का विकल्प प्रदान किया जाता है।

प्रवेश हेतु पात्रता:

- 3.1 इन कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश नियम और दिशा-निर्देश यूजीसी और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार होंगे।
- 3.2 वह छात्र जिसने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, छत्तीसगढ़ से ग्रेड 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है या राज्य और केंद्र सरकार और अन्य वैधानिक निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य बोर्ड से समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है या संबंधित नियामक निकाय द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करता है, ऐसी स्थिति में इन स्नातक कार्यक्रमों के लिए बाद वाली शर्तें लागू होंगी।

सीटों की संख्या :

- 3.3 किसी कार्यक्रम में छात्र नामांकन विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित सीटों तक ही सीमित होगा। किसी भी स्नातक कार्यक्रम को शुरू करने के लिए छात्रों की संख्या 60, स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए यह संख्या 40 या संबंधित अध्यादेश के अनुसार होगी। आवंटित सीटों में वृद्धि मूल इकाई के गुणक होगी जिसे प्रबंधन बोर्ड (बीओएम) से मान्य करने के उपरांत पश्चात स्थापित किया जा सकता है।
- 3.4 इस अध्यादेश के प्रावधानों के तहत विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश क्षमता का निर्धारण पहले ही कर लिया जाएगा और यह शैक्षणिक सत्र 2024–25 से लागू होगी।
- 3.5 उपलब्ध शैक्षणिक और भौतिक सुविधाओं के आधार पर, विश्वविद्यालय प्रथम डिग्री कार्यक्रम के दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष में पार्श्व प्रवेशकों के लिए कार्यक्रम के पिछले वर्ष के लिए स्वीकृत सीटों की अधिकतम 10 सीटें निर्धारित कर सकता है, यदि छात्रों ने किसी संस्थान में उसी कार्यक्रम के पहले वर्ष/दूसरे वर्ष/तीसरे वर्ष को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और सीजीपीयूआरसी को सूचना देकर पढ़ाई में ब्रेक के बाद कार्यक्रम में फिर से प्रवेश करना चाहता है।
- 3.6 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का प्रवेश और अतिरिक्त सीटें
 - 1 विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को उनके द्वारा धारित प्रवेश योग्यता की समतुल्यता के आधार पर प्रवेश दे सकता है। समतुल्यता का निर्धारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) या यूजीसी द्वारा इस उद्देश्य के लिए मान्यता प्राप्त किसी अन्य

निकाय या देश के संबंधित नियामक निकायों द्वारा किया जाना है। विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को प्रवेश देने के लिए पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया अपना सकता है।

- 2 विश्वविद्यालय स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए स्वीकृत कुल नामांकन के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए 25% तक अतिरिक्त सीटें बना सकता है। 25% अतिरिक्त सीटों के बारे में निर्णय संबंधित उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा बुनियादी ढांचे, संकाय और अन्य आवश्यकताओं पर विचार करते हुए नियामक निकायों द्वारा जारी किए गए विशिष्ट दिशा-निर्देशों/विनियमों के अनुसार किया जाना चाहिए।
- 3 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए 25% अतिरिक्त सीटों में संस्थानों के बीच या भारत सरकार और अन्य देशों के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम से प्रस्तावित विनियम कार्यक्रमों के तहत अंतर्राष्ट्रीय छात्र शामिल नहीं होंगे।
- 4 बुनियादी ढांचे और योग्य संकाय की उपलब्धता के आधार पर, जहां भी संभव हो, इन 25: सीटों को उच्च शिक्षण संस्थान के सभी विभागों, स्कूलों, केंद्रों या किसी अन्य शैक्षणिक इकाई के बीच वितरित करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
- 5 स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों ही कार्यक्रमों में अतिरिक्त सीटें केवल अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए होंगी। अतिरिक्त श्रेणी में रिक्त रह गई सीट अंतरराष्ट्रीय छात्र के अतिरिक्त किसी अन्य को आवंटित नहीं की जाएगी। इस संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय छात्रों को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाएगा जिसके पास विदेशी पासपोर्ट होगा।
- 6 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए अतिरिक्त सीटें बनाने के प्रावधान को समय-समय पर नियामक निकायों द्वारा जारी

दिशा-निर्देशों/नियमों के अनुसार विश्वविद्यालय के वैधानिक निकाय /निकायों के अनुमोदन के माध्यम से औपचारिक रूप दिया जाना चाहिए।

- 3.7 राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय छात्रों द्वारा इन कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज (टीसीध्सीसीध्माइग्रेशन आदि) नियामक निकायों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार या प्रबंधन बोर्ड से पूर्व अनुमोदन के साथ अकादमिक परिषद द्वारा तय किए जाएंगे।
- 3.8 शैक्षणिक कार्यक्रमों में कई प्रवेश और निकास बिंदुओं को सक्षम करने के लिए, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री जैसी योग्यताएं स्तर 4.5 से स्तर 6 तक बढ़ते क्रम में स्तरों की एक श्रृंखला में व्यवस्थित की जाती हैं। स्तर 4.5 सर्टिफिकेट का प्रतिनिधित्व करता है, स्तर 5 डिप्लोमा का प्रतिनिधित्व करता है, स्तर 5.5 स्नातक की डिग्री का प्रतिनिधित्व करता है स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए प्रवेश और निकास के विकल्प निम्नानुसार होंगे रू

यूजी सर्टिफिकेट: जो छात्र पहले वर्ष की समाप्ति के बाद बाहर निकलने का विकल्प चुनते हैं और 40 क्रेडिट प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें यूजी सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा, यदि इसके अतिरिक्त, वे पहले वर्ष की गर्मी की छुट्टियों के दौरान 4 क्रेडिट का एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम पूरा करते हैं। इन छात्रों को तीन वर्षों के भीतर डिग्री कार्यक्रम में पुनः प्रवेश करने और निर्धारित अधिकतम सात वर्षों की अवधि के भीतर डिग्री कार्यक्रम पूरा करने की अनुमति है।

यूजी डिप्लोमा: जो छात्र दूसरे वर्ष की समाप्ति के बाद बाहर निकलने का विकल्प चुनते हैं और 80 क्रेडिट प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें यूजी डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा, यदि इसके अतिरिक्त, वे दूसरे वर्ष की गर्मी की छुट्टियों के दौरान 4 क्रेडिट का एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम पूरा करते हैं। इन छात्रों को तीन वर्षों की अवधि के भीतर पुनः प्रवेश करने और अधिकतम सात वर्षों की अवधि के भीतर डिग्री कार्यक्रम पूरा करने की अनुमति है।

वर्षीय यूजी डिग्री: जो छात्र 3-वर्षीय यूजी कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें तीन वर्ष सफलतापूर्वक पूरा करने, 120 क्रेडिट प्राप्त करने और न्यूनतम क्रेडिट आवश्यकता को पूरा करने के बाद प्रमुख विषय में यूजी डिग्री प्रदान की जाएगी।

वर्षीय यूजी डिग्री (ऑनर्स) : प्रमुख विषयों में चार वर्षीय यूजी ऑनर्स डिग्री उन लोगों को प्रदान की जाएगी, जिन्होंने 160 क्रेडिट के साथ चार वर्षीय डिग्री प्रोग्राम पूरा किया है और तालिका 1 में दी गई क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा किया है।

4 वर्षीय यूजी डिग्री (रिसर्च के साथ ऑनर्स): जो छात्र पहले छह सेमेस्टर में 75: या उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं और स्नातक स्तर पर शोध करना चाहते हैं, वे चौथे वर्ष में शोध स्ट्रीम चुन सकते हैं। उन्हें विश्वविद्यालय के किसी संकाय सदस्य के मार्गदर्शन में शोध परियोजना या शोध प्रबंध करना चाहिए। शोध परियोजना/शोध प्रबंध प्रमुख विषय में होना चाहिए। जो छात्र 160 क्रेडिट प्राप्त करते हैं, जिसमें एक शोध परियोजना/शोध प्रबंध से 12 क्रेडिट शामिल हैं, उन्हें यूजी डिग्री (रिसर्च के साथ ऑनर्स) प्रदान की जाती है।

सिंगल मेजर के साथ यूजी डिग्री प्रोग्राम: एक छात्र को सिंगल मेजर के रूप में प्रदान की जाने वाली 3-वर्षीय/4-वर्षीय यूजी डिग्री के लिए प्रमुख विषय से न्यूनतम 50% क्रेडिट प्राप्त करना होगा।

डबल मेजर के साथ यूजी डिग्री प्रोग्राम: डबल मेजर प्राप्त करने के लिए छात्र को 3-वर्षीय/4-वर्षीय यूजी डिग्री के लिए दूसरे प्रमुख विषय से न्यूनतम 40: क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।?

अंतर्विषयक यूजी कार्यक्रम: कोर पाठ्यक्रमों के क्रेडिट घटक विषयों/विषयों के बीच वितरित किए जाएंगे ताकि अंतःविषयक कार्यक्रम में मुख्य योग्यता प्राप्त की जा सके।

बहुविषयक यूजी कार्यक्रम: बहुविषयक अध्ययन कार्यक्रम का अनुसरण करने वाले छात्रों के मामले में, कोर पाठ्यक्रमों के क्रेडिट व्यापक विषयों जैसे कि जीवन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणितीय और कंप्यूटर विज्ञान, डेटा विश्लेषण, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, आदि के बीच वितरित किए जाएंगे।

विश्वविद्यालय के वैधानिक निकाय जैसे अध्ययन बोर्ड और अकादमिक परिषद प्रमुख श्रेणी के तहत पाठ्यक्रमों की सूची और दोहरे प्रमुख, अंतःविषय और बहु-विषयक कार्यक्रमों के लिए क्रेडिट वितरण पर निर्णय लेंगे। प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम क्रेडिट आवश्यकताएँ निम्नांकित हैं:

तालिका-2: योग्यता प्रकार और क्रेडिट आवश्यकताएँ

NHEQF लेवल	योग्यता शीर्षक/नामकरण	क्रेडिट आवश्यकताएँ (न्यूनतम)
लेवल 4.5	अंडरग्रेजुएट प्रमाणपत्र (सीखने/विषय के क्षेत्र में) उन लोगों के लिए जो अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम के पहले वर्ष (2 सेमेस्टर) के बाद निकास करते हैं। (कार्यक्रम की अवधि : अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम का पहला वर्ष या 2 सेमेस्टर)	40 क्रेडिट
लेवल 5	अंडरग्रेजुएट डिप्लोमा (सीखने/विषय के क्षेत्र में) उन लोगों के लिए जो अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम के पहले दो वर्षों (4 सेमेस्टर) के बाद निकास करते हैं। (कार्यक्रम की अवधि : अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम के पहले दो वर्ष या 4 सेमेस्टर)	80 क्रेडिट
लेवल 5.5	स्नातक की डिग्री (उदाहरण: कला स्नातक; विज्ञान स्नातक; वाणिज्य स्नातक; व्यवसाय प्रशासन स्नातक, आदि) (कार्यक्रम की अवधि: तीन वर्ष या 6 सेमेस्टर)	120 क्रेडिट
लेवल 5.5	व्यवसाय स्नातक (बी.वोक) (कार्यक्रम की अवधि: 3 वर्ष या 6 सेमेस्टर)	120 क्रेडिट

लेवल 6	इंजीनियरिंग स्नातक (बी.ई.); प्रौद्योगिकी स्नातक (बी.टेक.) (कार्यक्रम की अवधि: चार वर्ष या 8 सेमेस्टर)	160 क्रेडिट
लेवल 6	बी.ए., बी.एड.; बी.एससी., बी.एड.; बी.कॉम., बी.एड. (4-वर्षीय दोहरी डिग्री इंटीग्रेटेड शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम)	160 क्रेडिट
लेवल 6	स्नातक डिग्री (ऑनर्स/अनुसंधान के साथ ऑनर्स) (कार्यक्रम की अवधि: चार वर्ष या 8 सेमेस्टर)	160 क्रेडिट
लेवल 6	स्नातकोत्तर डिप्लोमा। उन लोगों के लिए जो 2-वर्षीय मास्टर कार्यक्रम के पहले वर्ष या दो सेमेस्टर की सफलतापूर्वक समाप्ति के बाद बाहर निकलते हैं। (कार्यक्रम की अवधि: एक वर्ष या 2 सेमेस्टर)	40 क्रेडिट
लेवल 6.5	मास्टर की डिग्री (जैसे: एम.ए.; एम.कॉम., एम.एससी.; आदि) (कार्यक्रम की अवधि : तीन वर्ष की स्नातक डिग्री प्राप्त करने के बाद दो वर्ष या चार सेमेस्टर)	80 क्रेडिट
लेवल 6.5	मास्टर की डिग्री (जैसे: एम.ए.; एम.कॉम., एम.एससी.; आदि) (कार्यक्रम की अवधि : चार वर्ष की स्नातक (ऑनर्स/अनुसंधान के साथ ऑनर्स) डिग्री प्राप्त करने के बाद एक वर्ष या 2 सेमेस्टर)	40 क्रेडिट
लेवल 7	मास्टर की डिग्री (जैसे: एम.ई.; एम.टेक. आदि) (कार्यक्रम की अवधि : बी.ई., बी.टेक. आदि स्नातक डिग्री प्राप्त करने के बाद दो वर्ष या चार सेमेस्टर)	80 क्रेडिट
लेवल 8	डॉक्टरल डिग्री	कोर्स वर्क, शोध प्रबंध और प्रकाशित कार्य

टिप्पणी :

- ऑनर्स छात्र जो शोध नहीं कर रहे हैं वे एक शोध परियोजना/शोध प्रबंध के बदले में 12 क्रेडिट के लिए 3 पाठ्यक्रम पूरा करेंगे।
- यूजीसी/सांविधिक निकायों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, विश्वविद्यालय अतिरिक्त क्रेडिट इस तरह से आवंटित कर सकता है जिससे छात्रों को न्यूनतम क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा करने में सुविधा हो।

4. स्नातक पाठ्यक्रम के पाठ्यचर्या संबंधी घटक:

पाठ्यक्रम में प्रमुख स्ट्रीम पाठ्यक्रम, लघु स्ट्रीम पाठ्यक्रम और अन्य विषयों के पाठ्यक्रम, भाषा पाठ्यक्रम, कौशल पाठ्यक्रम और पर्यावरण शिक्षा, भारत को समझना, डिजिटल और तकनीकी समाधान, स्वास्थ्य और कल्याण, योग शिक्षा और खेल पर पाठ्यक्रमों का एक सेट शामिल है। फिटनेस. दूसरे सेमेस्टर के अंत में, छात्र या तो चुने गए प्रमुख विषय को जारी रखने का निर्णय ले सकते हैं या प्रमुख विषय में बदलाव का अनुरोध कर सकते हैं। लघु स्ट्रीम पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम शामिल हैं जो छात्रों को नौकरी-उन्मुख कौशल से लैस करने में मदद करेंगे।

5. अनुशासनात्मक/अंतःविषय मेजर:

मेजर, छात्र को किसी विशेष विषय या अनुशासन का गहन अध्ययन करने का अवसर प्रदान करेगा। छात्रों को पहले वर्ष के दौरान अंतःविषय पाठ्यक्रमों का पता लगाने के लिए पर्याप्त समय देकर दूसरे सेमेस्टर के अंत में व्यापक अनुशासन के भीतर प्रमुख बदलाव करने की अनुमति दी जा सकती है। सातवें सेमेस्टर में उन्नत स्तर के अनुशासनात्मक/अंतःविषय पाठ्यक्रम, अनुसंधान पद्धति में एक पाठ्यक्रम और एक परियोजना/शोध प्रबंध आयोजित किया जाएगा। अंतिम सेमेस्टर सेमिनार प्रस्तुति, तैयारी और परियोजना रिपोर्ट/शोध प्रबंध प्रस्तुत करने के लिए समर्पित होगा। परियोजना कार्य/शोध प्रबंध अध्ययन के अनुशासनात्मक पाठ्यक्रम के किसी विषय या अंतःविषय विषय पर होगा।

6. अनुशासनात्मक/ अंतर्विषयक माइजर :

विद्यार्थियों के पास चुने गए व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित अनुशासनात्मक/अंतर्विषयक लघु और कौशल-आधारित पाठ्यक्रमों में से पाठ्यक्रम चुनने का विकल्प होगा। जो छात्र चुने गए मुख्य विषयों के अलावा किसी विषय या अंतःविषय अध्ययन क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में पाठ्यक्रम लेते हैं, वे उस विषय या चुने गए अंतःविषय अध्ययन क्षेत्र में मामूली पाठ्यक्रम के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे। छात्र विभिन्न पाठ्यक्रमों की खोज करने के बाद दूसरे सेमेस्टर के अंत में माइजर और व्यावसायिक स्ट्रीम की पसंद की घोषणा कर सकता है।

7. व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण:

व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण सिद्धांत और व्यावहारिक के साथ-साथ कौशल प्रदान करने के लिए स्नातक पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग बनेगा। व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण से संबंधित 'माइजर' स्ट्रीम के लिए न्यूनतम 12 क्रेडिट आवंटित किए जाएंगे और ये छात्र के प्रमुख या छोटे अनुशासन या पसंद से संबंधित हो सकते हैं। ये पाठ्यक्रम उन छात्रों के लिए नौकरी ढूंढने में उपयोगी होंगे जो पाठ्यक्रम पूरा करने से पहले ही बाहर निकल जाते हैं।

8. अन्य विषयों से पाठ्यक्रम (बहुविषयक) (9 क्रेडिट) :

सभी यूजी छात्रों को नीचे दिए गए किसी भी व्यापक विषय से संबंधित 3 प्रारंभिक स्तर के पाठ्यक्रमों से गुजरना आवश्यक है। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य बौद्धिक अनुभव को व्यापक बनाना और उदार कला और विज्ञान शिक्षा का हिस्सा बनना है। छात्रों को इस श्रेणी के तहत प्रस्तावित प्रमुख और लघु स्ट्रीम में उच्च माध्यमिक स्तर (12वीं कक्षा) में पहले से ही किए गए पाठ्यक्रमों को चुनने या दोहराने की अनुमति नहीं है।

8.1 प्राकृतिक और भौतिक विज्ञान: छात्र प्राकृतिक विज्ञान जैसे विषयों से बुनियादी पाठ्यक्रम चुन सकते हैं, उदाहरण के लिए, जीवविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, जैव भौतिकी, खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी, पृथ्वी और पर्यावरण विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक विज्ञान आदि।

8.2 गणित, सांख्यिकी और कंप्यूटर अनुप्रयोग: इस श्रेणी के अंतर्गत पाठ्यक्रम छात्रों को अपने प्रमुख और लघु विषयों में उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करने और लागू करने की सुविधा प्रदान करेंगे। पाठ्यक्रम में पायथन जैसे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर और एसटीएटीए, एसपीएसएस, टैली आदि जैसे एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में प्रशिक्षण शामिल हो सकता है। इस श्रेणी के तहत बुनियादी पाठ्यक्रम डेटा विश्लेषण और मात्रात्मक उपकरणों के अनुप्रयोग में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए सहायक होंगे।

8.3 पुस्तकालय, सूचना और मीडिया विज्ञान: इस श्रेणी के पाठ्यक्रम छात्रों को सूचना और मीडिया विज्ञान (पत्रकारिता, जन मीडिया और संचार) में हाल के विकास को समझने में मदद करेंगे।

8.4 वाणिज्य और प्रबंधन: पाठ्यक्रमों में व्यवसाय प्रबंधन, अकाउंटेंसी, वित्त, वित्तीय संस्थान, फिनटेक आदि शामिल हैं।

8.5 मानविकी और सामाजिक विज्ञान: सामाजिक विज्ञान से संबंधित पाठ्यक्रम, उदाहरण के लिए, मानव विज्ञान, संचार और मीडिया, अर्थशास्त्र, इतिहास, भाषा विज्ञान, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र, आदि छात्रों को व्यक्तियों और उनके सामाजिक व्यवहार को समझने में सक्षम बनाएंगे। समाज और राष्ट्र छात्रों को भारत के लिए सर्वेक्षण पद्धति और उपलब्ध बड़े पैमाने के डेटाबेस से परिचित कराया जाएगा। मानविकी के अंतर्गत पाठ्यक्रमों में शामिल हैं, उदाहरण के लिए, पुरातत्व, इतिहास, तुलनात्मक साहित्य, कला और रचनात्मक अभिव्यक्तियाँ, रचनात्मक लेखन और साहित्य, भाषाएँ, दर्शनशास्त्र, आदि, और मानविकी से संबंधित अंतःविषय पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रमों की सूची जिसमें संज्ञानात्मक विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, लिंग अध्ययन, वैश्विक पर्यावरण और स्वास्थ्य, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीतिक अर्थव्यवस्था और विकास, सतत विकास, महिला और लिंग अध्ययन आदि जैसे अंतःविषय विषय शामिल हो सकते हैं, समाज को समझने के लिए उपयोगी होंगे।

9. क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (एईसी) (08 क्रेडिट):

आधुनिक भारतीय भाषा (एमआईएल) और अंग्रेजी भाषा भाषा और संचार कौशल पर केंद्रित है। छात्रों को भाषा और संचार कौशल पर विशेष जोर देने के साथ आधुनिक भारतीय भाषा (एमआईएल) और अंग्रेजी भाषा में दक्षता हासिल करने की आवश्यकता होती है। पाठ्यक्रमों का उद्देश्य छात्रों को महत्वपूर्ण पढ़ाने और व्याख्यात्मक और अकादमिक लेखन कौशल सहित मुख्य भाषाई कौशल हासिल करने और प्रदर्शित करने में सक्षम बनाना है, जो छात्रों को अपने तर्कों को स्पष्ट करने और अपनी सोच को स्पष्ट और सुसंगत रूप से प्रस्तुत करने में मदद करता है और ज्ञान के

मध्यस्थ के रूप में भाषा के महत्व को पहचानता है। और पहचान. वे छात्रों को चुनी हुई एमआईएल और अंग्रेजी भाषा की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत से परिचित कराने में सक्षम बनाएंगे, साथ ही एमआईएल और अंग्रेजी भाषा दोनों से संबंधित भाषा/साहित्य की संरचना और जटिलता की चिंतनशील समझ प्रदान करेंगे। पाठ्यक्रम संचार जैसे कौशल के विकास और वृद्धि, और चर्चा और बहस में भाग लेने/संचालन करने की क्षमता पर भी जोर देंगे।

10. कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (एसईसी):

इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य छात्रों की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए व्यावहारिक कौशल, व्यावहारिक प्रशिक्षण, सॉफ्ट स्किल आदि प्रदान करना है। विश्वविद्यालय छात्रों की आवश्यकताओं और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार पाठ्यक्रम डिजाइन कर सकता है।

11. सभी यूजी छात्रों के लिए मूल्य-वर्धित पाठ्यक्रम (वीएसी) (6-8 क्रेडिट)

- 11.1 **भारत को समझना** : इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को अपने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों और नीतियों के बुनियादी ढांचे और संवैधानिक मूल्यों और मौलिक पर विशेष जोर देने के साथ संवैधानिक दायित्वों के साथ समकालीन भारत के ज्ञान और समझ को प्राप्त करने और प्रदर्शित करने में सक्षम बनाना है। अधिकार और कर्तव्य। यह पाठ्यक्रम भारतीय ज्ञान प्रणालियों, भारतीय शिक्षा प्रणाली और सामान्य रूप से राष्ट्र और स्कूल/समुदाय/समाज के प्रति शिक्षकों की भूमिकाओं और दायित्वों के बारे में छात्र-शिक्षकों के बीच समझ विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। यह पाठ्यक्रम भारत के स्वतंत्रता संग्राम और इसके मूल्यों और आदर्शों के बारे में ज्ञान को गहरा करने और देश के सभी वर्गों और क्षेत्रों के लोगों द्वारा किए गए योगदान की सराहना विकसित करने और शिक्षार्थियों को मूल्यों को समझने और संजोने में मदद करने का प्रयास करेगा। भारतीय संविधान में निहित और उन्हें एक लोकतांत्रिक समाज के प्रभावी नागरिकों के रूप में उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के लिए तैयार करना।
- 11.2 **पर्यावरण विज्ञान/शिक्षा** : पाठ्यक्रम छात्रों को पर्यावरणीय गिरावट, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण, प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन, संरक्षण के प्रभावों को कम करने के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए आवश्यक अर्जित ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और मूल्यों को लागू करने की क्षमता से लैस करना चाहता है। जैविक विविधता, जैविक संसाधनों का प्रबंधन, वन और वन्यजीव संरक्षण, और सतत विकास और जीवनयापन। यह पाठ्यक्रम भारत के पर्यावरण की समग्रता, इसकी संवादात्मक प्रक्रियाओं और लोगों के जीवन की भविष्य की गुणवत्ता पर इसके प्रभावों के ज्ञान और समझ को भी गहरा करेगा।
- 11.3 **डिजिटल और तकनीकी समाधान** : अत्याधुनिक क्षेत्रों में पाठ्यक्रम जो तेजी से प्रमुखता प्राप्त कर रहे हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), 3-डी मशीनिंग, बिग डेटा विश्लेषण, मशीन लर्निंग, ड्रोन टेक्नोलॉजीज, और स्वास्थ्य, पर्यावरण और टिकाऊ जीवन के लिए महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के साथ गहन शिक्षा जो युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए स्नातक शिक्षा में शामिल की जाएगी।
- 11.4 **स्वास्थ्य और कल्याण, योग शिक्षा, खेल और फिटनेस**: स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती से संबंधित पाठ्यक्रम घटक व्यक्ति के शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और पर्यावरणीय तंदुरुस्ती की इष्टतम स्थिति को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। खेल और तंदुरुस्ती गतिविधियाँ नियमित विश्वविद्यालय कार्य घंटों के बाहर आयोजित की जाएँगी। योग शिक्षा छात्रों को उनकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक क्षमताओं के एकीकरण के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करने और उन्हें अपने व्यक्तित्व के बारे में बुनियादी ज्ञान से लैस करने, आत्म-अनुशासन और आत्म-नियंत्रण बनाए रखने, सभी जीवन स्थितियों में खुद को अच्छी तरह से संभालने के लिए सीखने पर ध्यान केंद्रित करेगी। पाठ्यक्रम के खेल और तंदुरुस्ती घटकों का ध्यान शारीरिक तंदुरुस्ती के सुधार पर होगा जिसमें ताकत, गति, समन्वय, धीरज और लचीलेपन जैसे शारीरिक और कौशल-संबंधित तंदुरुस्ती के विभिन्न घटकों का सुधार शामिल है। मोटर कौशल सहित खेल कौशल का अधिग्रहण और साथ ही किसी विशेष खेल से संबंधित बुनियादी आंदोलन कौशल सामरिक क्षमताओं में सुधार और मानसिक क्षमताओं में सुधार। विश्वविद्यालय आवश्यकतानुसार अनुशासन से संबंधित या सभी यूजी कार्यक्रमों के लिए समान अन्य नवीन मूल्यवर्धित पाठ्यक्रम शुरू करेगा।

12. भारतीय ज्ञान प्रणाली

भारतीय ज्ञान प्रणाली (आईकेएस) से संबंधित पाठ्यक्रम सामग्री को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा।

अ. आईकेएस सभी विषयों के लिए यूजी पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग होगा।

ब. आईकेएस में लिए गए क्रेडिट चार साल के यूजी कार्यक्रमों में कुल अनिवार्य क्रेडिट का कम से कम 5: होना चाहिए। आईकेएस को आवंटित क्रेडिट का कम से कम 50: मुख्य अनुशासनात्मक और बहु-विषयक पाठ्यक्रमों को आवंटित किया जाएगा। छात्रों को आईकेएस का हिस्सा बनने वाले किसी भी विषय/विषय में इंटरशिप/प्रशिक्षुता का विकल्प चुनने की अनुमति दी जा सकती है।

स. इसके अलावा, विश्वविद्यालय यूजी कार्यक्रम के पहले चार सेमेस्टर के दौरान आईकेएस के आधारभूत पाठ्यक्रमों में कम से कम एक/दो पेपर सुनिश्चित करेगा, जिसमें मूल्य वर्धित पाठ्यक्रम (वीएसी) के हिस्से के रूप में न्यूनतम तीनध्वार क्रेडिट (क्रमशः तीन साल/चार साल के यूजी कार्यक्रम) होंगे।

द. आई.के.एस. के अंतर्गत पाठ्यक्रमों को चयनित विषयों/बहुविषयों में आधारभूत पाठ्यक्रम (आई.के.एस. के लिए विशिष्ट) और वैकल्पिक पाठ्यक्रम (विषय विशेष) में वर्गीकृत किया जाएगा।

- I. आधारभूत पाठ्यक्रम: इसमें आई.के.एस. का बुनियादी ज्ञान शामिल होगा और इसमें भारतीय साहित्य, संस्कृति, खगोल विज्ञान, कला और शिल्प, वास्तुकला, संगीत आदि का बुनियादी ज्ञान शामिल हो सकता है।
- II. वैकल्पिक पाठ्यक्रम (विषय विशेष): इसमें भारतीय गणित और भारतीय खगोल विज्ञान जैसे विशिष्ट विषयों से संबंधित उन्नत ज्ञान शामिल है। यह प्रमुख विषय का हिस्सा होगा।

13. ग्रीष्मकालीन इंटरशिप/ प्रशिक्षुता (2 – 4 क्रेडिट)

नए यूजी पाठ्यक्रम का एक प्रमुख पहलू वास्तविक कार्य स्थितियों में शामिल होना है। सभी छात्रों को ग्रीष्मकालीन अवधि के दौरान किसी फर्म, उद्योग या संगठन में इंटरशिप/प्रशिक्षुता या अपने स्वयं के या अन्य एचईआई/अनुसंधान संस्थानों में संकाय और शोधकर्ताओं के साथ प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षण से भी गुजरना होगा। छात्रों को स्थानीय उद्योग, व्यावसायिक संगठनों, स्वास्थ्य और संबद्ध क्षेत्रों, स्थानीय सरकारों (जैसे पंचायत, नगर पालिकाओं), संसद या निर्वाचित प्रतिनिधियों, मीडिया संगठनों, कलाकारों, शिल्पकारों और विभिन्न प्रकार के संगठनों के साथ इंटरशिप के अवसर प्रदान किए जाएंगे। ताकि छात्र अपने सीखने के व्यावहारिक पक्ष के साथ सक्रिय रूप से जुड़ सकें और, उप-उत्पाद के रूप में, अपनी रोजगार क्षमता में और सुधार कर सकें। जो छात्र पहले दो सेमेस्टर के बाद बाहर निकलना चाहते हैं, उन्हें यूजी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए ग्रीष्मकालीन अवधि के दौरान 4-क्रेडिट कार्य-आधारित शिक्षा/इंटरशिप से गुजरना होगा।

14. सामुदायिक सहभागिता और सेवा :

'सामुदायिक सहभागिता और सेवा' का पाठ्यक्रम घटक छात्रों को समाज में सामाजिक-आर्थिक मुद्दों से अवगत कराना चाहता है, ताकि सैद्धांतिक शिक्षा को वास्तविक जीवन के अनुभवों द्वारा पूरक बनाया जा सके और वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान निकाला जा सके। यह मुख्य अनुशासन के आधार पर ग्रीष्मकालीन अवधि गतिविधि या प्रमुख या लघु पाठ्यक्रम का हिस्सा हो सकता है।

15. क्षेत्र-आधारित शिक्षण/लघु परियोजना:

क्षेत्र-आधारित शिक्षण/लघु परियोजना छात्रों को विभिन्न सामाजिक-आर्थिक संदर्भों को समझने के अवसर प्रदान करने का प्रयास करेगी। इसका उद्देश्य छात्रों को ग्रामीण और शहरी परिवेश में विकास संबंधी मुद्दों से अवगत कराना होगा। यह छात्रों को ग्रामीण और शहरी संदर्भों में स्थितियों का निरीक्षण करने और सामाजिक-आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों के संबंध में वास्तविक क्षेत्र स्थितियों का निरीक्षण और अध्ययन करने के अवसर प्रदान करेगा। छात्रों को विकास प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने वाली नीतियों, विनियमों, संगठनात्मक संरचनाओं, प्रक्रियाओं और कार्यक्रमों की प्रत्यक्ष समझ हासिल करने के अवसर दिए जाएंगे। उन्हें समुदाय में जटिल सामाजिक-आर्थिक समस्याओं और पहचानी गई समस्याओं के समाधान उत्पन्न करने के लिए आवश्यक नवीन प्रथाओं की समझ हासिल करने का अवसर मिलेगा। अध्ययन के विषय के आधार पर यह एक ग्रीष्मकालीन अवधि की परियोजना या किसी बड़े या लघु पाठ्यक्रम का हिस्सा हो सकता है।

16. शोध परियोजना/शोध प्रबंध

4 वर्षीय स्नातक डिग्री (शोध के साथ ऑनर्स) चुनने वाले छात्रों को संकाय सदस्य के मार्गदर्शन में शोध परियोजनाएं शुरू करनी होती हैं। छात्रों से आठवें सेमेस्टर में शोध परियोजना पूरी करने की अपेक्षा की जाती है। उनके प्रोजेक्ट वर्क के शोध परिणाम सहकर्मियों-समीक्षित पत्रिकाओं में प्रकाशित हो सकते हैं या सम्मेलनों/सेमिनारों में प्रस्तुत किए जा सकते हैं या पेटेंट कराए जा सकते हैं

प्रासंगिक अनुभव/दक्षता के लिए क्रेडिट असाइनमेंट

अनुभव सह प्रवीणता स्तर	प्रासंगिक अनुभवात्मक शिक्षा का विवरण जिसमें प्रासंगिक अनुभव और अर्जित व्यावसायिक स्तर और प्रवीणता स्तर प्राप्त करना शामिल है	वेटेज / गुणन कारक	अनुभव के वर्षों की संख्या (केवल सांकेतिक)
प्रशिक्षित/योग्यता प्राप्त	कोई व्यक्ति जिसने पाठ्यक्रमधरि शिक्षा/प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और उसे किसी विशेष कार्य या गतिविधि के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान सिखाया गया है	1	1 वर्ष से कम या बराबर
प्रवीण	प्रवीण प्रवीण का अर्थ होगा किसी विशेष पेशे, कौशल या ज्ञान में उन्नति का स्तर होना	1.33	1 से अधिक 4 से कम या बराबर
विशेषज्ञ	विशेषज्ञ विशेषज्ञ का अर्थ है किसी व्यापार या पेशे में उच्च स्तर का ज्ञान और अनुभव होना	1.67	4 से अधिक 7 से कम या बराबर
मास्टरया ज्ञान होता है	मास्टर वह व्यक्ति होता है जिसके पास किसी विषय/डोमेन का असाधारण कौशल या ज्ञान होता है	2	7 से अधिक

17. अन्य गतिविधियाँ :

इस घटक में राष्ट्रीय सेवा योजना (एनसीसी), राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी), वयस्क शिक्षा/साक्षरता पहल, स्कूली छात्रों को सलाह देने और अन्य समान गतिविधियों से संबंधित गतिविधियों में भागीदारी शामिल होगी।

18. व्यापक ओपन ऑनलाइन कोर्स (मूक)

मूक शिक्षार्थियों को वैकल्पिक मोड (ऑफलाइन, ओडीएल, ऑनलाइन लर्निंग और हाइब्रिड मोड) में स्विच करने के लिए लचीलापन प्रदान करते हैं। यूजीसी से प्राप्त दिशा-निर्देशों/सिफारिशों के अनुसार विश्वविद्यालय SWAYAM/NPTEL या किसी अन्य ऑनलाइन यूजीसी अनुमोदित प्लेटफॉर्म के माध्यम से पेश किए जाने वाले कार्यक्रम के एक सेमेस्टर में पेश किए जा रहे कुल पाठ्यक्रमों/क्रेडिट इकाइयों के 40 प्रतिशत (40%) तक की अनुमति देता है।

विश्वविद्यालय MOOC-आधारित पाठ्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए अपने दिशा-निर्देश विकसित करेगा। ये दिशा-निर्देश पाठ्यक्रम में MOOC के सुचारु एकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यक्रम चयन, क्रेडिट हस्तांतरण और अन्य प्रासंगिक पहलुओं की प्रक्रिया को रेखांकित करते हैं।

19. स्नातक पाठ्यक्रम के लिए संरचना : सेमेस्टर प्रणाली

एनईपी और यूजीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार तीन वर्षीय बैचलर प्रोग्रामध्वारा वर्षीय बैचलर विद ऑनर्स/ऑनर्स विद रिसर्च के दौरान, छात्रों को आवश्यक न्यूनतम क्रेडिट इकाइयों के पूरा होने के बाद **सर्टिफिकेट** डिप्लोमा/डिग्री अर्जित करने के साथ कार्यक्रम में कई बार बाहर निकलने और प्रवेश करने का अवसर मिलता है, जैसा कि तालिका 1 में बताया गया है:

*40 क्रेडिट (स्तर 4.5: जिन्हें यूजी प्रमाण-पत्र दिया जाएगा) या 80 क्रेडिट (स्तर 5: जिन्हें यूजी डिप्लोमा दिया जाएगा) हासिल करने के बाद कार्यक्रम से बाहर निकलने वाले छात्रों को ग्रीष्मकालीन अवधि या औद्योगिक इंटरशिप/प्रशिक्षुता के दौरान पेश किए जाने वाले कार्य/डोमेन आधारित

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में 4 अतिरिक्त क्रेडिट हासिल करने की भी आवश्यकता होती है। 4 वर्षीय स्नातक डिग्री कार्यक्रम को एक पसंदीदा विकल्प माना जाता है क्योंकि यह छात्र की पसंद के अनुसार चुने गए प्रमुख और गौण विषयों पर ध्यान देने के अलावा समग्र और बहुविषयक शिक्षा की पूरी श्रृंखला का अनुभव करने का अवसर प्रदान करेगा। (तालिका – IIA&B)

तालिका IIA: प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम क्रेडिट आवश्यकता

क्रम संख्या	पाठ्यक्रम की श्रेणी	न्यूनतम क्रेडिट आवश्यकता	
		3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम	4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम
1	प्रमुख (कोर) पाठ्यक्रम	60 (50%)	80 (50%)
2	लघु (वैकल्पिक) पाठ्यक्रम	24	32
3	बहुविषयकअंतर-विषयकधसंबद्ध पाठ्यक्रम	09	09
4	एईसी (क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम)	08	08
5	एसईसी (कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम)	09	09
6	भारतीय ज्ञान प्रणाली (आईकेएस) सहित वीएडी (मूल्य वर्धित पाठ्यक्रम)	06-08	06-08
7	समर इंटरशिप	02-04	02-04
8	शोध प्रबंध(शोध परियोजना)		12
	कुल क्रेडिट	120	160

नोट:- शोध न करने वाले ऑनर्स छात्र को शोध परियोजनाधशोध प्रबंध के बदले में 12 क्रेडिट के तीन पाठ्यक्रम करने होंगे।

तालिका IIB: – स्नातक पाठ्यक्रम के क्रेडिट का सेमेस्टर-वार और व्यापक पाठ्यक्रम श्रेणी-वार वितरण:

सेमेस्टर	अनुशासन विशिष्ट पाठ्यक्रम (कोर)	माइनर	अंतर-अनुशासनात्मक	क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (भाषा)	कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम / इंटरशिप / शोध प्रबंध	सामान्य मूल्य संवर्धित पाठ्यक्रम	कुल क्रेडिट
I	(100 स्तर)	(100 स्तर)	(1 पाठ्यक्रम)	(1 पाठ्यक्रम)	(1 पाठ्यक्रम)	(1 या 2 पाठ्यक्रम)	20
II	(100 स्तर)	(100 स्तर)	(1 पाठ्यक्रम)	(1 पाठ्यक्रम)	(1 पाठ्यक्रम)	(1 या 2 पाठ्यक्रम)	20

	40 क्रेडिट प्राप्त करने के बाद कार्यक्रम से बाहर निकलने वाले छात्रों को संबंधित अनुशासन / विषय में यूजी प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा, बशर्ते कि वे पहले और दूसरे सेमेस्टर के दौरान अर्जित कौशल आधारित पाठ्यक्रमों से 6 क्रेडिट के अलावा ग्रीष्मकालीन सत्र या इंटर्नशिप / प्रशिक्षुता / कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम के दौरान पेश किए गए कार्य आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में 4 क्रेडिट प्राप्त करें।						40
III	(200 स्तर)	(200 और ऊपर)	(1 पाठ्यक्रम)	(1 पाठ्यक्रम)	(1 पाठ्यक्रम)	-	20
IV	(200 स्तर)	(200 और ऊपर)	--	(1 पाठ्यक्रम)	-	-	20
	80 क्रेडिट प्राप्त करने के बाद कार्यक्रम से बाहर निकलने वाले छात्रों को संबंधित अनुशासन/ विषय में यूजी डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा, बशर्ते कि वे पहले वर्ष या दूसरे वर्ष की ग्रीष्मकालीन अवधि के दौरान पेश किए जाने वाले कौशल आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अतिरिक्त 4 क्रेडिट प्राप्त करें।						80
V	(300 स्तर)	(200 और ऊपर)	-	-	(इंटर्नशिप)	-	20
VI	(300 स्तर)	(200 और ऊपर)	-	-	-	-	20
	जो छात्र 3-वर्षीय यूजी पाठ्यक्रम करना चाहते हैं, उन्हें 120 क्रेडिट हासिल करने पर संबंधित अनुशासनध्विषय में यूजी डिग्री प्रदान की जाएगी						120
VII	(400 स्तर)	(300 और ऊपर)	-	-	-	-	20
VIII	(400 स्तर)	(300 और ऊपर)	-	-	(अनुसंधान परियोजना/ शोधप्रबंध)	-	20
	छात्रों को संबंधित अनुशासन (विषय में यूजी डिग्री (ऑनर्स) प्रदान की जाएगी, बशर्ते कि उन्होंने 160 क्रेडिट्स प्राप्त किए हों।						160

टिप्पणी:

- प्रत्येक सेमेस्टर में केवल क्रेडिट की न्यूनतम कुल संख्या ऊपर दर्शाई गई है। न्यूनतम क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उच्च शिक्षा संस्थान प्रत्येक पाठ्यक्रम (जैसे, मेजर, माइनर, मल्टीडिसिप्लिनरी, आदि) के लिए क्रेडिट की संख्या तय कर सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो उच्च शिक्षा संस्थान अतिरिक्त 10: क्रेडिट प्रदान कर सकते हैं।
- छात्रों को उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा प्रस्तावित अपनी पसंद के पाठ्यक्रम का ऑडिट करने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते वे पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक शर्तें पूरी करते हों।
- माइनर स्ट्रीम पाठ्यक्रम तीसरी 300 या उससे ऊपर के स्तर के हो सकते हैं और माइनर से कुल क्रेडिट का 50: संबंधित विषय/अनुशासन में प्राप्त किया जाना चाहिए और माइनर से कुल क्रेडिट का 50: छात्र की पसंद के अनुसार किसी भी विषय से अर्जित किया जा सकता है।
- छात्रों को अंतःविषय श्रेणी के तहत 12वीं कक्षा में पढ़े गए समान पाठ्यक्रमों को लेने की अनुमति नहीं है।
- मौजूदा यूजीसी नियमों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से किसी भी श्रेणी में 40% क्रेडिट अर्जित किए जा सकते हैं।
- आठवीं-सेमेस्टर का मुख्य विषय छात्रों की प्रस्तुतियों और चर्चाओं के साथ सेमिनार-आधारित हो सकता है।

vii. छात्रों को एनएसएस/एनसीसी जैसी गतिविधियों में नामांकन के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की संरचना

2 वर्षीय पीजी के लिए: 3 वर्षीय यूजी कार्यक्रम के बाद 2 वर्षीय पीजी में प्रवेश करने वाले छात्र निम्न में से कोई एक चुन सकते हैं

(i) तीसरे और चौथे सेमेस्टर में केवल पाठ्यक्रम कार्य या (ii) तीसरे सेमेस्टर में पाठ्यक्रम कार्य और चौथे सेमेस्टर में शोध या (iii) तीसरे और चौथे सेमेस्टर में केवल शोध।

1 वर्षीय पीजी: 4 वर्षीय यूजी कार्यक्रम के बाद 1 वर्षीय पीजी में प्रवेश करने वाले छात्र (i) केवल पाठ्यक्रम कार्य या (ii) शोध या (iii) पाठ्यक्रम और शोध करने का विकल्प चुन सकते हैं।

5 वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम (यूजीपीजी): पीजी स्तर पर, 5 वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम का पाठ्यक्रम घटक ऊपर बताए गए 2 वर्षीय पीजी के समान होगा।

क्रेडिट वितरण

अ) 1 वर्षीय पीजी के लिए

पाठ्यचर्या घटक	4 वर्षीय यूजी (ऑनर्स/ऑनर्स विद रिसर्च) के लिए पीजी पाठ्यक्रम (एक वर्ष) न्यूनतम क्रेडिट			
	कोर्स लेवल	कोर्स वर्क	रिसर्च थीसिस/प्रोजेक्ट/पेटेंट	कुल क्रेडिट क्रेडिट
कोर्स वर्क + रिसर्च	500	20	20	40
कोर्स वर्क	500	40	--	40
रिसर्च	-	-	40	

ब.) 2-वर्षीय पीजी के लिए

पाठ्यचर्या घटक	दो वर्षीय पीजी पाठ्यक्रम (सामान्य और व्यावसायिक) न्यूनतम क्रेडिट				
	कोर्स लेवल	कोर्स वर्क	रिसर्च थीसिस/प्रोजेक्ट/पेटेंट	कुल क्रेडिट क्रेडिट	
पीजी डिप्लोमा	400	40	--	40	
प्रथम वर्ष (प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर)	400 500	24 16	--	40	
प्रथम वर्ष के अंत में बाहर निकलने वाले छात्रों को स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा					
द्वितीय वर्ष (तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर)	पाठ्यक्रम और अनुसंधान	500	20	20	40
	कोर्स वर्क (या)	500	40	--	40
	शोध	--	--	40	40

निकास बिंदु:

जो लोग 2 वर्षीय पीजी कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, उनके लिए केवल एक निकास बिंदु होगा। जो छात्र 1 वर्ष के अंत में बाहर निकलते हैं, उन्हें स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। पीजी कार्यक्रम में चुने गए विषय से संबंधित व्यावसायिक पाठ्यक्रम शामिल होने चाहिए।

पाठ्यक्रमों के स्तर:

पाठ्यक्रमों को सीखने के परिणामों, कठिनाई के स्तर और शैक्षणिक कठोरता के आधार पर कोडित किया जाएगा। कोडिंग संरचना इस प्रकार है:

- I. 0-99 : परिचयात्मक पाठ्यक्रम करने के लिए आवश्यक पूर्व-अपेक्षित पाठ्यक्रम जो बिना किसी क्रेडिट के पास या फेल कोर्स होगा। यह कुछ कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में आयोजित किए जाने वाले ब्रिज पाठ्यक्रमों की पेशकश के मौजूदा अनौपचारिक तरीके की जगह लेगा।
- II. 100-199 : आधारभूत या परिचयात्मक पाठ्यक्रम जो छात्रों को विषयों के बारे में समझ और बुनियादी ज्ञान हासिल करने और रुचि के विषय या अनुशासन को तय करने में मदद करने के लिए हैं। ये पाठ्यक्रम प्रमुख विषय के पाठ्यक्रमों के लिए पूर्वापेक्षाएँ भी हो सकते हैं। ये पाठ्यक्रम आम तौर पर अधिक उन्नत पाठ्यक्रमों को लेने के लिए एक व्यापक आधार प्रदान करने के लिए आलोचनात्मक सोच के आधारभूत सिद्धांतों, अवधारणाओं, दृष्टिकोणों, सिद्धांतों, विधियों और प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ये पाठ्यक्रम छात्रों को उन्नत अध्ययन के लिए आवश्यक सामान्य शिक्षा से लैस करने का प्रयास करते हुए कला, मानविकी, सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में (अंतर) अनुशासनात्मक क्षेत्रों की व्यापकता और व्यावसायिक या पेशेवर क्षेत्रों की ऐतिहासिक और समकालीन मान्यताओं और प्रथाओं से छात्रों को परिचित कराएंगे और उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम की नींव रखेंगे।
- III. 200-299 : विषय-विशिष्ट पाठ्यक्रमों सहित मध्यवर्ती स्तर के पाठ्यक्रम जो सीखने के छोटे या प्रमुख क्षेत्रों के लिए क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अभिप्रेत हैं। ये पाठ्यक्रम किसी प्रमुख विषय का हिस्सा हो सकते हैं और उन्नत स्तर के प्रमुख पाठ्यक्रमों के लिए पूर्व-आवश्यक पाठ्यक्रम हो सकते हैं।
- IV. 300-399 : उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम जो डिग्री के पुरस्कार के लिए अध्ययन के अनुशासनात्मक/अंतर-विषयक क्षेत्र में प्रमुखता के लिए आवश्यक हैं।
- V. 400-499 : उन्नत पाठ्यक्रम जिसमें प्रैक्टिकम के साथ व्याख्यान पाठ्यक्रम, सेमिनार आधारित पाठ्यक्रम, टर्म पेपर, शोध पद्धति, उन्नत प्रयोगशाला प्रयोग/सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण, शोध परियोजनाएं, व्यावहारिक प्रशिक्षण, स्नातक स्तर पर इंटरशिप/प्रशिक्षुता परियोजनाएं या प्रथम वर्ष स्नातकोत्तर सैद्धांतिक और व्यावहारिक पाठ्यक्रम शामिल होंगे।
- VI. 500-599 : 2 वर्षीय मास्टर डिग्री कार्यक्रम के लिए प्रथम वर्ष के मास्टर डिग्री स्तर पर पाठ्यक्रम।
- VII. 600-699 : 2 वर्षीय मास्टर या 1 वर्षीय मास्टर डिग्री कार्यक्रम के दूसरे वर्ष के लिए पाठ्यक्रम।
- VIII. 700 -799 और अधिक : डॉक्टरेट छात्रों तक सीमित पाठ्यक्रम।

20. स्नातक कार्यक्रमों का नामकरण

स्नातक डिग्री कार्यक्रम 3 या 4 वर्ष की अवधि के होंगे, जिसमें कई निकास/प्रवेश विकल्प (प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा/डिग्री) होंगे।

विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत यूजी कार्यक्रमों को यूजीसी दिशा-निर्देशों के अनुसार नए नामकरण के साथ संशोधित किया जाएगा।

स्नातक कार्यक्रमों के लिए क्रेडिट आवश्यकताएँ तालिका-I में दी गई हैं।

21. स्नातकोत्तर कार्यक्रमों का नामकरण

विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत स्नातकोत्तर कार्यक्रम/स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम का नामकरण यूजीसी दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा।

22. स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए प्रवेश मार्ग

- I. छात्रों को दो वर्षीय कार्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा, जबकि दूसरा वर्ष पूरी तरह से शोध के लिए समर्पित होगा, जो तीन वर्षीय स्नातक कार्यक्रम पूरा कर चुके हैं।

- II. चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम ऑनर्स/शोध के साथ पूरा करने वाले छात्रों को एक वर्षीय मास्टर कार्यक्रम में प्रवेश दिया जा सकता है।
- III. कोई भी छात्र अपने यूजी कार्यक्रम में लिए गए प्रमुख या गौण विषय में पीजी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र है।
- IV. यूजी कार्यक्रम में छात्र द्वारा लिए गए प्रमुख या गौण विषय के बावजूद, छात्र पीजी कार्यक्रम के किसी भी विषय में प्रवेश के लिए पात्र है, बशर्ते कि छात्र पीजी कार्यक्रम के विषय में राष्ट्रीय स्तर या विश्वविद्यालय स्तर की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करता हो।
- V. जिन अभ्यर्थियों ने 4 वर्षीय यूजी कार्यक्रम या 3 वर्षीय यूजी और 2 वर्षीय पीजी कार्यक्रम या STEM विषयों में 5 वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम (यूजी+पीजी) पूरा कर लिया है, वे संबद्ध क्षेत्रों में एम.ई., एम.टेक. में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
- VI. एक एकीकृत पांच वर्षीय स्नातक/स्नातकोत्तर कार्यक्रम हो सकता है।

प्रविष्टि 5 – स्तर 6.5 के लिए प्रवेश की आवश्यकता है

- i. एक वर्षीय/दो-सेमेस्टर मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम के लिए स्नातक डिग्री (ऑनर्स/अनुसंधान)।
- ii. दो-वर्षीय/चार-सेमेस्टर मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम के लिए स्नातक की डिग्री।
- iii. एक वर्षीय/दो-सेमेस्टर स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए स्नातक की डिग्री।
- iv. मास्टर डिग्री और पोस्ट-ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए अध्ययन का एक पाठ्यक्रम उन लोगों के लिए खुला है, जिन्होंने पाठ्यक्रम प्रवेश नियमों में निर्दिष्ट स्तर की प्राप्ति सहित प्रवेश आवश्यकताओं को पूरा किया है। अध्ययन के एक पाठ्यक्रम में प्रवेश आवेदक की जांच के विशेषज्ञ क्षेत्र में स्नातकोत्तर अध्ययन करने की क्षमता के दस्तावेजी साक्ष्य (शैक्षणिक रिकॉर्ड सहित) के मूल्यांकन पर आधारित है।

निकास 5— स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए, दो-वर्षीय मास्टर पाठ्यक्रम में शामिल होने वालों के लिए केवल एक निकास बिंदु होगा, अर्थात्, मास्टर पाठ्यक्रम के पहले वर्ष के अंत में। प्रथम वर्ष के बाद बाहर निकलने वाले छात्रों को स्नातकोत्तर डिप्लोमा से सम्मानित किया जाएगा।

23. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए क्रेडिट आवश्यकताएँ

- i. एक वर्षीय/दो सेमेस्टर का मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम ऑनर्स/रिसर्च के साथ स्नातक की डिग्री पर आधारित है और ऑनर्स/रिसर्च के साथ स्नातक की डिग्री पूरी करने वाले व्यक्तियों के लिए 40 क्रेडिट की आवश्यकता होती है।
- ii. दो वर्षीय /चार सेमेस्टर का मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम स्नातक डिग्री पर आधारित है और पाठ्यक्रम के दोनों वर्षों से कुल 80 क्रेडिट की आवश्यकता होती है, जिसमें लेवल 7 पर पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में 40 क्रेडिट और दूसरे वर्ष में 40 क्रेडिट होते हैं।
- iii. एक साल/दो सेमेस्टर का स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम स्नातक की डिग्री पर आधारित है और स्नातक की डिग्री पूरी करने वाले व्यक्तियों के लिए 40 क्रेडिट की आवश्यकता होती है।
 - एक छात्र को केवल विषम सेमेस्टर में प्रवेश/पुनः प्रवेश की अनुमति दी जाएगी और केवल सम सेमेस्टर के बाद ही बाहर निकल सकता है। शैक्षणिक कार्यक्रमों में पार्श्व प्रवेशकों के रूप में विभिन्न स्तरों पर पुनः प्रवेश अर्जित क्रेडिट और दक्षता परीक्षण रिकॉर्ड के आधार पर होना चाहिए।
 - अर्जित क्रेडिट की वैधता अधिकतम सात वर्ष की अवधि या एबीसी द्वारा निर्दिष्ट होगी। अर्जित क्रेडिट को जमा करने की प्रक्रिया, इसकी शेल्फ लाइफ, क्रेडिट का मोचन, यूजीसी (उच्च शिक्षा में अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) योजना की स्थापना और संचालन) विनियम, 2021 के अनुसार होगा।

24. तकनीकी कार्यक्रमों के लिए अवधि, प्रवेश स्तर की योग्यताएं और सांविधिक आरक्षण के मानदंड

छात्रों को प्रत्येक निकास के बाद रोजगार योग्य बनाने के लिए, संबंधित नियामक निकाय/विश्वविद्यालय/तकनीकी बोर्ड द्वारा कार्यक्रम के पहले वर्ष से ही पाठ्यक्रम में संबंधित विषयों में कौशल घटक के साथ प्रगतिशील कौशल वृद्धि को शामिल किया जा सकता है। पहले वर्ष के अंत में निकास की अनुमति देते समय, संस्थान तकनीकी संचार और कंप्यूटर प्रवीणता (डेटा प्रविष्टि आदि), सिविल / मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैनशिप, विद्युत रखरखाव आदि पर अनिवार्य कौशल पाठ्यक्रम मॉड्यूल निर्धारित कर सकते हैं।

क्रमांक	शैक्षिक स्तर	प्रवेश स्तर पात्रताएँ	निकासी स्तर पात्रताएँ	NCrF स्तर
1	10वीं कक्षा		10वीं मानक	3.0
2a	डिप्लोमा प्रथम वर्ष	10वीं कक्षा पास	अभ्यर्थी 10+1 वर्ष के डिप्लोमा के साथ निकास करता है वोकेशन का सर्टिफिकेट (सी.वोक.)	3.5
3a	12वीं	11वीं कक्षा पास	12वीं	4.0
3b	डिप्लोमा द्वितीय वर्ष	10+1 वर्ष का डिप्लोमा (C. Voc.) या समकक्ष व्यवसायिक प्रशिक्षण (स्तर 3.5) या 12वीं कक्षा पास	10+2 वर्ष का व्यवसाय डिप्लोमा	4.0
4a	डिप्लोमा तृतीय वर्ष	10+2 वर्ष का व्यवसाय डिप्लोमा या समकक्ष व्यवसायिक प्रशिक्षण (स्तर 4)	डिप्लोमा इंजीनियरिंग	4.5
4b	स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष	10+2 वर्ष का व्यवसाय डिप्लोमा या 12वीं कक्षा पास (स्तर 4)	स्नातक प्रमाणपत्र	4.5
5	स्नातक डिग्री द्वितीय वर्ष	संबंधित शाखा में डिप्लोमा/स्नातक प्रमाणपत्र/समकक्ष व्यवसायिक या तकनीकी कार्यक्रम (स्तर 4.5)	स्नातक डिप्लोमा (इंजीनियरिंग)	5.0
6	स्नातक डिग्री तृतीय वर्ष	10+3+1/12+2/ संबंधित डोमेन में स्नातक/डिप्लोमा (इंजीनियरिंग) (स्तर 5)	B-Voc-/ B-Sc-	(इंजीनियरिंग)/ स्नातक डिग्री
7	स्नातक डिग्री अंतिम वर्ष	वोकेशन में 3 वर्ष की बैचलर डिग्री/ B-Sc- (इंजीनियरिंग)/ स्नातक डिग्री (स्तर 5.5)	B-E-/B-Tech-/	स्नातक डिग्री (ऑनर्स)
8	स्नात्कोत्तर डिग्री प्रथम वर्ष	4 वर्ष की बैचलर डिग्री (स्तर 6.00)	स्नात्कोत्तर डिप्लोमा/ M-Voc	6.5
9	स्नात्कोत्तर डिग्री अंतिम वर्ष	1 वर्ष की स्नात्कोत्तर डिग्री/स्नात्कोत्तर डिप्लोमा/M-Voc (स्तर 6.5)	M-Tech-/ स्नात्कोत्तर डिग्री (इंजीनियरिंग)/स्नात्कोत्तर डिग्री	7.0
10	पीएच.डी/फेलो प्रोग्राम	B-Tech- में 75% अंक या समकक्ष CGPA/PG	-	8.0

इंजीनियरिंग के UG और PG पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (NCrF)

बी.टेक. पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष के बाद बाहर निकलने वाले छात्रों को आईटी/हार्डवेयर नेटवर्किंग/मेटलैब या शाखा विशेष कौशल मॉड्यूल पर कौशल मॉड्यूल का पालन करना होगा। बी.टेक. के तीसरे और चौथे वर्ष का पाठ्यक्रम पहले से ही इंजीनियरिंग विशिष्ट है, तीन वर्षों के बाद बाहर निकलने वाले छात्रों को यूजी डिग्री/बी. वोक/बी.एससी (इंजीनियरिंग) प्रदान की जा सकती है।

पहले वर्ष के बाद बाहर निकलने वाले डिप्लोमा छात्रों को व्यावसायिक प्रमाणपत्र (सी.वोक.) और दूसरे वर्ष के बाद बाहर निकलने वाले छात्रों को औद्योगिक प्रशिक्षण प्रमाणपत्र (आईटीसी)/व्यावसायिक डिप्लोमा प्रदान किया जा सकता है।

प्रत्येक प्रवेश स्तर पर, विश्वविद्यालय शैक्षिक अंतर/कौशल अंतर की पहचान करेगा और उपयुक्त ब्रिज कोर्स की पेशकश की जा सकती है।

विशेषीकरण एआईसीटीई द्वारा समय-समय पर प्रकाशित अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका के अनुसार होगा।

25. उपस्थिति

उपस्थिति की आवश्यकता परीक्षाओं को नियंत्रित करने वाले विश्वविद्यालय अध्यादेश के अनुसार होगी। सामान्य तौर पर, अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में उपस्थित होने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम में कम से कम पचहत्तर प्रतिशत की उपस्थिति आवश्यक होगी।

लंबी बीमारी जैसे विशेष कारणों से प्रत्येक पाठ्यक्रम में उपस्थिति के प्रतिशत में कमी को कुलपति द्वारा संबंधित डीन के अनुमोदन से माफ किया जा सकता है।

26.परीक्षा एवं मूल्यांकन

मूल्यांकन निरंतर मूल्यांकन पर आधारित होगा, जिसमें सेशनल कार्य और टर्मिनल परीक्षा अंतिम ग्रेड में योगदान देगी। सत्रीय कार्य में कक्षा परीक्षण, मध्य-सेमेस्टर परीक्षा, होमवर्क असाइनमेंट आदि शामिल होंगे, जैसा कि अध्ययन के पाठ्यक्रमों के प्रभारी संकाय द्वारा निर्धारित किया जाएगा। सीखने के परिणामों की उपलब्धि की दिशा में प्रगति का मूल्यांकन निम्नलिखित का उपयोग करके किया जाएगा—बाधित परीक्षाएँ बंद किताब और खुली किताब परीक्षण समस्या—आधारित कार्यय व्यावहारिक असाइनमेंट प्रयोगशाला रिपोर्टय व्यावहारिक कौशल का अवलोकनय व्यक्तिगत परियोजना रिपोर्ट (केस-स्टडी रिपोर्ट)य टीम परियोजना रिपोर्टय संगोष्ठी प्रस्तुति सहित मौखिक प्रस्तुतियाँय मौखिक साक्षात्कारय कम्प्यूटरीकृत अनुकूली मूल्यांकन, मांग पर परीक्षा, मॉड्यूलर प्रमाणन, आदि।

प्रत्येक पाठ्यक्रम एक परीक्षा पेपर के अनुरूप होगा जिसमें बाहरी और आंतरिक मूल्यांकन शामिल होंगे। मेजर, माइनर, ओपन/जेनेरिक और डीएससी (अनुशासन विशिष्ट पाठ्यक्रम) व्यावसायिक, मूल्य वर्धित, एसईसी (कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम) और एईसी (क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम) के लिए सेमेस्टर अंत सिद्धांत परीक्षाएं अनुमोदित परीक्षा नियमों के माध्यम से प्रख्यापित अवधि की होंगी। थ्योरी/प्रेक्टिकल/ट्यूटोरियल, आंतरिक, बाहरी परीक्षाओं के लिए क्रेडिट संरचना और एक परीक्षा के लिए कुल अंक यूजीसी मानदंडों के अनुसार विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम संरचना के अनुसार होंगे। छात्रों को विश्वविद्यालय के परीक्षा नियमों के अनुसार, संबंधित पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण घोषित होने के लिए अलग-अलग आंतरिक और बाहरी परीक्षाओं में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त करना होगा।

26.1 मूल्यांकन के माध्यम से प्रत्येक सेमेस्टर के लिए निर्धारित अध्ययन पाठ्यक्रमों के संबंध में उम्मीदवार के शैक्षणिक प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों का मूल्यांकन निम्न पर आधारित होगा

26.1.1 अंतिम सेमेस्टर परीक्षाएँ – कुल अंकों का 70% अंक और

26.1.2 सतत आंतरिक मूल्यांकन – कुल अंकों का 30%

26.2 अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार आयोजित की जाएंगी और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा की अवधि तीन या दो घंटे होगी।

26.3 प्रत्येक सेमेस्टर में कार्यक्रम उत्तीर्ण करने के लिए अंकों का न्यूनतम प्रतिशत अंतिम सेमेस्टर परीक्षाओं और निरंतर मूल्यांकन सहित प्रत्येक पाठ्यक्रम में 40% होगा।

26.4 एक कार्यक्रम में प्रत्येक सेमेस्टर में एक निर्दिष्ट संख्या में क्रेडिट होंगे। छात्र द्वारा संतोषजनक ढंग से उत्तीर्ण किए गए ग्रेड अंकों के साथ क्रेडिट की संख्या छात्र के प्रदर्शन को मापेगी।

26.5 सेमेस्टर परीक्षा परिणामों में निम्नलिखित श्रेणियां होंगी:

26.5.1 उत्तीर्ण, अर्थात्, जो सेमेस्टर परीक्षा के सभी पाठ्यक्रमों में आंतरिक और बाह्य परीक्षा में अलग-अलग उत्तीर्ण हुए हैं।

26.5.2 पदोन्नत (एटीकेटी), यानी, जिन्होंने किसी विशेष वर्ष में दोनों सेमेस्टर (सम और विषम) सहित न्यूनतम 50% क्रेडिट अर्जित किए हैं या जिन्होंने विषम सेमेस्टर में किसी भी संख्या में क्रेडिट अर्जित किया है।

26.5.3 डिटेंड, अर्थात्, जिन्हें उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार पदोन्नत नहीं किया गया है, उन्हें डिटेंड में लिया जाएगा। ऐसे छात्रों को इस अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक क्रेडिट (पहले से अर्जित क्रेडिट को छोड़कर) अर्जित करने के लिए अगले शैक्षणिक सत्र की परीक्षा में उपस्थित होना होगा और उसके बाद ही वह इस अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर कार्यक्रम जारी रख सकते हैं।

26.6 हालाँकि, किसी भी सेमेस्टर का कोई छात्र जिसे कम उपस्थिति के कारण रोका गया है/परीक्षा में उपस्थित नहीं हुआ है / परीक्षा के लिए आवेदन नहीं किया है / आवेदन किया है लेकिन उपस्थित नहीं हुआ है, उसे कार्यक्रम से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा अपनाई/अधिसूचित प्रक्रिया के माध्यम से पूर्व छात्र के रूप में अगले सत्र में प्रवेश लेना होगा।

27. सतत आंतरिक मूल्यांकन

27.1 सतत आंतरिक मूल्यांकन पाठ्यक्रम के लिए आवंटित कुल अंकों का 30% होगा।

27.2 प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए सतत आंतरिक मूल्यांकन के घटकों का निर्णय संबंधित विषय के अध्ययन बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

27.3 एटीकेटी छात्रों के मामले में सतत आंतरिक मूल्यांकन को आगे बढ़ाया जाएगा, किसी भी परिस्थिति में एटीकेटी छात्रों के लिए आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं होगा।

28 MOOCs और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन और प्रमाणन:

MOOCs, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, फील्ड प्रोजेक्ट्स/इंटरशिप/अप्रेंटिसशिप/सामुदायिक जुड़ाव और सेवा/शोध परियोजना के मूल्यांकन और प्रमाणन के लिए विश्वविद्यालय/SWAYAM portal/UGC के दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।

29. लेटर ग्रेड और ग्रेड पॉइंट

सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट औसत (SGPA) की गणना किसी दिए गए सेमेस्टर में छात्र के प्रदर्शन के माप के रूप में ग्रेड से की जाती है। SGPA वर्तमान अवधि के ग्रेड पर आधारित है, जबकि संचयी GPA (CGPA) अध्ययन कार्यक्रम में शामिल होने के बाद लिए गए सभी पाठ्यक्रमों में ग्रेड पर आधारित है।

उच्च शिक्षा संस्थान छात्रों के लाभ के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्राप्त अंकों और इन सभी मास्टर्स में प्राप्त अंकों के आधार पर भारत औसत का भी उल्लेख कर सकते हैं।

तालिका-3 : ग्रेडिंग प्रणाली

Letter Grade	GradePoints	Description	Range of Marks (%)
O	10	अति उत्कृष्ट	>90 to <=100
A+	9	उत्कृष्ट	>80 to <=90
A	8	बहुत अच्छा	>70 to <=80
B+	7	अच्छा	>60 to <=70
B	6	औसत से ऊपर	>50 to <=60
C	5	औसत	>40 to <=50
P	4	उत्तीर्ण	=40
F	0	असफल	<40
Ab	0	अनुपस्थित	Absent

SGPA और CGPA की गणना

यूजीसी सेमेस्टर ग्रेडपॉइंट औसत (एसजीपीए) और संचयी ग्रेडपॉइंट औसत (सीजीपीए) की गणना करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया की सिफारिश करता है:

i. एसजीपीए एक छात्र द्वारा लिए गए सभी पाठ्यक्रमों में छात्र द्वारा प्राप्त ग्रेडपॉइंट के साथ क्रेडिट की संख्या के गुणनफल का योग और एक छात्र द्वारा किए गए पाठ्यक्रमों के क्रेडिट की संख्या का योग है, अर्थात्

$$SGPA(S_i) = \frac{\sum(C_i \times G_i)}{\sum C_i}$$

जहाँ C_i 's पाठ्यक्रम के क्रेडिट की संख्या है और G_i 's पाठ्यक्रम में छात्र द्वारा प्राप्त ग्रेड पॉइंट है।

SGPA की गणना के लिए उदाहरण

Semester	Course	Credit	LetterGrade	GradePoint	(CreditsGrade)
1	Course1	3	A	8	3 x8=24
1	Course1	4	B +	7	4 x7=28
1	Course1	3	B	6	3 x6=18
1	Course1	3	O	10	3 x10 = 30
1	Course1	3	C	5	3 x5=15
1	Course1	4	B	6	4 x6=24
		20			139
SGPA					139/20=6.95

ii. संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत (सीजीपीए) की गणना भी उसी तरीके से की जाती है, जिसमें छात्र द्वारा किसी कार्यक्रम के सभी सेमेस्टर्स में किए गए सभी पाठ्यक्रमों को ध्यान में रखा जाता है, अर्थात्

$$CGPA = \frac{\sum(C_i \times S_i)}{\sum C_i}$$

जहाँ S_i आठवें सेमेस्टर का SGPA है और C_{ii} उस सेमेस्टर में क्रेडिट की कुल संख्या है।

CGPA की गणना के लिए उदाहरण

Semester1	Semester2	Semester3	Semester4
Credit 20	Credit 20	Credit 20	Credit 20
SGPA 6.9	SGPA 7.8	SGPA 5.6	SGPA 6.0
CGPA=(20 x6.9 +20x7.8+20x5.6 +20x6.0)/80 = 6.6			

एसजीपीए और सीजीपीए को 2 दशमलव बिंदु तक पूर्णांकित किया जाएगा और ट्रांसक्रिप्ट में रिपोर्ट किया जाएगा।

स्नातक प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री प्रदान करने के लिए सभी आवश्यकताओं को पूरा करने पर, सीजीपीए की गणना की जाएगी, और यह मान प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पर दर्शाया जाएगा। 3-वर्षीय (6 सेमेस्टर) और 4-वर्षीय (8 सेमेस्टर) स्नातक डिग्री में तालिका 4 के अनुसार प्राप्त डिवीजन को भी दर्शाया जाना चाहिए:

तालिका-4: प्रभागों का वितरण

प्रभाग	मानदंड
विशिष्टता के साथ प्रथम श्रेणी	उम्मीदवार ने 7.50 या उससे अधिक सीजीपीए के साथ डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम क्रेडिट अर्जित किए हैं
प्रथम श्रेणी	उम्मीदवार ने 6.00 से अधिक लेकिन 7.50 से कम सीजीपीए के साथ डिग्री प्रदान करने के लिए आवश्यक न्यूनतम क्रेडिट अर्जित किए हैं।
द्वितीय श्रेणी	उम्मीदवार ने 4.50 या उससे अधिक लेकिन 6.00 से कम सीजीपीए के साथ डिग्री प्रदान करने के लिए आवश्यक न्यूनतम क्रेडिट अर्जित किए हैं।
उत्तीर्ण	उम्मीदवार ने 4.00 या उससे अधिक लेकिन 4.50 से कम सीजीपीए के साथ डिग्री प्रदान

करने के लिए आवश्यक न्यूनतम क्रेडिट अर्जित किए हैं।
--

अन्य शैक्षणिक मामलों में इसके अनुप्रयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए सीजीपीए को प्रतिशत में परिवर्तित किया जाएगा।

समतुल्य प्रतिशत = सीजीपीए×10 प्रतिशत को दूसरे दशमलव बिंदु तक पूर्णांकित किया जाएगा।

उम्मीदवार को प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री तब प्रदान की जाएगी जब वह प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के लिए आवश्यक न्यूनतम क्रेडिट सफलतापूर्वक अर्जित कर लेगा।

30. पदोन्नति नियम

30.1 किसी छात्र को पदोन्नत किया जाएगा और वह किसी भी संख्या में बैक पेपर के बावजूद प्रथम सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा के तुरंत बाद द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है।

30.2 कोई छात्र द्वितीय सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा के तुरंत बाद अनंतिम रूप से तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है और उसका प्रवेश निश्चित हो जाएगा और उसे तृतीय सेमेस्टर में पदोन्नत किया जाएगा, बशर्ते उसने प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर दोनों को मिलाकर न्यूनतम 50% क्रेडिट अर्जित किए हों।

30.3 किसी छात्र को पदोन्नत किया जाएगा और वह तीसरे सेमेस्टर के तुरंत बाद चौथे सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है, भले ही तीसरे सेमेस्टर में कितने भी बैक पेपर हों।

30.4 कोई छात्र चौथे सेमेस्टर की परीक्षा के तुरंत बाद पांचवें सेमेस्टर में अनंतिम रूप से प्रवेश ले सकता है और उसका प्रवेश निश्चित किया जाएगा और उसे पांचवें सेमेस्टर में पदोन्नत किया जाएगा, बशर्ते उसने तीसरे और चौथे सेमेस्टर दोनों को मिलाकर न्यूनतम 50% क्रेडिट अर्जित किए हों, इसके अलावा छात्र को पहले और दूसरे सेमेस्टर के सभी पेपर पास करने होंगे।

30.5 किसी छात्र को पदोन्नत किया जाएगा और वह पांचवें सेमेस्टर के तुरंत बाद छठे सेमेस्टर में कितने भी बैक पेपर के साथ प्रवेश ले सकता है।

30.6 विषम सेमेस्टर के बैक पेपर की परीक्षाएं विषम सेमेस्टर की अंतिम परीक्षाओं के साथ आयोजित की जाएंगी, इसी तरह सम सेमेस्टर के बैक पेपर की परीक्षाएं सम सेमेस्टर की अंतिम परीक्षाओं के साथ आयोजित की जाएंगी।

30.7 इसके अलावा, चौथे सेमेस्टर तक सभी पेपर पास करने वाले छात्रों के लिए 6वें सेमेस्टर के साथ 5वें सेमेस्टर की विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी।

30.8 अंतिम सेमेस्टर के परिणाम की घोषणा के बाद 6वें सेमेस्टर की विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी; केवल 6वें सेमेस्टर में बैक पेपर वाले छात्र इस विशेष परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे।

30.9 कोई छात्र 6वें सेमेस्टर तक के सभी सेमेस्टर पास करने के बाद ही 7वें सेमेस्टर (यूजी का चौथा वर्ष) में प्रवेश ले सकता है।

30.10 कोई छात्र प्रदोन्नति पाएगा और 7वें सेमेस्टर की परीक्षा के तुरंत बाद अनंतिम रूप से 8वें सेमेस्टर (यूजी का चौथा वर्ष) में प्रवेश ले सकता है, भले ही 7वें सेमेस्टर में बैक पेपरों की संख्या कितनी भी हो। इसके अलावा, 7वें सेमेस्टर के बैक पेपर पास करने के लिए 8वें सेमेस्टर के साथ 7वें सेमेस्टर की विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी।

30.11 अंतिम सेमेस्टर के परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद 8वें सेमेस्टर की विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी। सेमेस्टर के परिणामों के आधार पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। 8वें सेमेस्टर में बैक पेपर वाले कोई भी छात्र इस विशेष परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होंगे।

30.12 कोई भी छात्र चौथे वर्ष के प्रारंभ होने से पहले निर्धारित तरीके से उसी के लिए आवेदन करके चौथे वर्ष में ऑनर्स कोर्स चुन सकता है। प्रमुख विषय में चार वर्षीय यूजी ऑनर्स की डिग्री उन लोगों को प्रदान की जाएगी, जिन्होंने तालिका 5 के अनुसार 160 क्रेडिट के बराबर या उससे अधिक के साथ चार वर्षीय डिग्री कार्यक्रम पूरा किया है।

30.13 इसके अलावा, जो छात्र पहले छह सेमेस्टर में 75% या उससे अधिक अंक या समकक्ष 7.5 सीजीपीए प्राप्त करते हैं और स्नातक स्तर पर शोध करना चाहते हैं, वे चौथे वर्ष में एक शोध स्ट्रीम चुन सकते हैं। उन्हें विभाग के किसी संकाय सदस्य के मार्गदर्शन में एक शोध परियोजना या शोध प्रबंध करना चाहिए। शोध परियोजना/शोध प्रबंध प्रमुख विषय में होगा। उनके प्रोजेक्ट कार्य के शोध परिणाम सहकर्मी-समीक्षित पत्रिकाओं में प्रकाशित हो सकते हैं या सम्मेलनों/सेमिनारों में प्रस्तुत किए जा सकते हैं या पेटेंट कराए जा सकते हैं।

30.14 यदि किसी छात्र को रोक दिया जाता है या उच्च सेमेस्टर में पदोन्नत नहीं किया जाता है, तो उसे तब तक रोका जाएगा जब तक कि उसके बैकलॉग पेपर पूरे नहीं हो जाते, जिसके लिए वह अगली उचित परीक्षा में भाग ले सकता है, बशर्ते कि यह कार्यक्रम के लिए अनुमत अधिकतम अवधि के भीतर किया गया हो। ऐसे छात्रों के सतत आंतरिक मूल्यांकन के अंक उस संबंधित पाठ्यक्रम के लिए आगे बढ़ाए जाएंगे जिसमें वह उपस्थित हो रहा है।

30.15 50% क्रेडिट की गणना के लिए सिद्धांत और व्यावहारिक दोनों पाठ्यक्रमों पर विचार किया जाएगा और 0.5 को राउंड अप किया जाएगा।

31. ट्रांसक्रिप्ट जारी करना

लेटर ग्रेड, ग्रेड पॉइंट और एसजीपीए और सीजीपीए पर सिफारिशों के आधार पर, विश्वविद्यालय प्रत्येक सेमेस्टर के लिए ट्रांसक्रिप्ट और सभी सेमेस्टर में प्रदर्शन को दर्शाने वाली एक समेकित ट्रांसक्रिप्ट जारी करेगा।

32. क्रेडिट ट्रांसफर

32.1 क्रेडिट ट्रांसफर समय-समय पर यूजीसी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बनाई गई विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार लागू किया जाएगा।

32.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा में अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना और संचालन) विनियम 2021 के तहत स्थापित अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के सदस्य संस्थान समय-समय पर संशोधित इस विनियमन के प्रावधानों के अनुसार क्रेडिट स्वीकार और हस्तांतरित करेंगे।

32.3 अंतिम पदोन्नति के मामलों को छोड़कर, विश्वविद्यालय अपने बीच छात्रों के क्रेडिट हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करेंगे, हालांकि, छात्र को उस विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए पाठ्यक्रम के लिए समानता रखते हुए कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता हो सकती है जिसमें छात्र प्रवेश चाहता है।

33. यदि इस अध्यादेश के प्रावधानों की व्याख्या के संबंध में कोई प्रश्न उठता है, तो इसे चर्चा और सिफारिशों के लिए प्रबंधन बोर्ड को भेजा जाएगा।

34. इस पाठ्यक्रम से संबंधित वैधानिक निकायों जैसे यूजीसी/एआईसीटीई/पीसीआई/बीसीआई/आरसीआई / सीएओ/किसी अन्य प्रासंगिक नियामक निकाय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों को कार्यान्वयन के लिए अपनाया जाएगा।

35. इस अध्यादेश के अंतर्गत नहीं आने वाले मामलों में विश्वविद्यालय के सामान्य नियम और विनियम लागू होंगे।

36. यदि यूजीसी भविष्य में इस संबंध में अपने विनियमों में कोई बदलाव अधिसूचित करता है, तो उसे विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद और प्रबंधन बोर्ड की मंजूरी के साथ मौजूदा अध्यादेश में शामिल किया जाएगा।

37. उपरोक्त के बावजूद, विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम यूजीसी या संबंधित वैधानिक निकाय के प्रासंगिक नियमों और मानदंडों द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप होगा।

38. सामान्य

- 38.1 एक बार विद्यार्थी द्वारा उत्तीर्ण हो जाने के बाद, कार्यक्रम को दोहराने या उसमें सुधार करने का कोई प्रावधान नहीं होगा।
- 38.2 पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं होगा। हालांकि, विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार पुनर्मूल्यांकन की अनुमति है।
- 38.3 बाहर निकलने के विकल्प केवल सम सेमेस्टर के अंत में उपलब्ध होंगे और प्रवेश के विकल्प केवल विषम सेमेस्टर की शुरुआत में प्रचलित पाठ्यक्रम के साथ उपलब्ध होंगे।
- 38.4 यदि अभ्यर्थी द्वितीय सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा देता है और तृतीय सेमेस्टर के लिए छोड़ देता है तथा भविष्य में चतुर्थ सेमेस्टर में प्रवेश लेना चाहता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को चतुर्थ सेमेस्टर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के नियमानुसार तृतीय सेमेस्टर में पुनः प्रवेश लेना होगा। यह अन्य विषम सेमेस्टर पर भी लागू है।
- 38.5 यूजीसीएफ से संबंधित कोई भी बिंदु जो इस अध्यादेश के अंतर्गत शामिल नहीं है, उसे विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर अपने अध्यादेश/नियम/दिशानिर्देशों के माध्यम से निर्धारित किया जाएगा।
- 38.6 यदि अध्यादेश में शामिल न किए गए मामलों से संबंधित कोई प्रश्न उठता है, तो विश्वविद्यालय या यूजीसी के अध्यादेश/संविधि में किए गए प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे।
- 38.7 एबीसी और बहु प्रवेश और निकास से संबंधित कोई भी बिंदु जो इस अध्यादेश में शामिल नहीं है, उन्हें समय-समय पर जारी यूजीसी दिशानिर्देशों/विनियमों के प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार निपटाया जाएगा।
- 39.** अध्यादेश की व्याख्या पर किसी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण को ही बाध्यकारी माना जाएगा।
- 40.** इस अध्यादेश में उल्लिखित कार्यक्रमों से संबंधित मौजूदा अध्यादेश सत्र 2024–25 से इस अध्यादेश के लागू होने के साथ निरस्त हो जाएंगे। किन्तु सत्र 2024–25 से पूर्व प्रवेशित विद्यार्थियों पर प्रवेश के समय लागू अध्यादेश ही मान्य होंगे।

Semester	Core (DSC)	Elective (DES)	Generic Elective (GE)	Ability Enhancement Course (AEC)	Skill Enhancement Course (SEC)	Internship/ Apprenticeship/Project (2)	Value addition Course (VAC)	Total Credits
I	Discipline A-1(4)		Choose one from a pool of courses GE-1 (4)	Choose one from a pool of AEC courses (2)	Choose one from a pool of courses (2)		Choose one from a pool of courses (2)	22 Credits
	Discipline B-1(4)							
	Discipline C-1(4)							
II	Discipline A-2(4)		Choose one from a pool of courses GE-2 (4)	Choose one from a pool of AEC courses	Choose one from a pool of courses (2)		Choose one from a pool of courses (2)	22 Credits
	Discipline B-2(4)							
	Discipline C-2(4)							

			(2)			
Students on exit shall be awarded undergraduate certificated (in the Field of Multidisciplinary study) after securing the requisite 44 credits in semester I and II						Total = 44 Credits
III	Discipline A-3(4)	Choose one from a pool of courses DSE A/B/C (4) Or Choose one from a pool of courses GE-3(4)	Choose one from a pool of AEC courses (2)	Choose one SEC OR Internship/Apprenticeship/Project/community outreach (2)	Choose one from a pool of courses (2)	22 Credits
	Discipline B-3(4)					
	Discipline C-3(4)					
IV	Discipline A-4(4)	Choose one from a pool of courses DSE A/B/C (4) Or Choose one from a pool of courses GE-4(4)	Choose one from a pool of AEC courses (2)	Choose one SEC OR Internship/Apprenticeship/Project/community outreach (2)	Choose one from a pool of courses (2)	22 Credits
	Discipline B-4(4)					
	Discipline C-4(4)					
Students on exit shall be awarded undergraduate certificated (in the Field of Multidisciplinary study) after securing the requisite 88 credits on completion of semester IV						Total = 88 Credits
V	Discipline A-5(4)	Choose one from a pool of courses DSE A/B/C (4)	Choose one from a pool of courses GE-5(4)	Choose one SEC OR Internship/Apprenticeship/Project/community outreach (2)		22 Credits
	Discipline B-5(4)					
	Discipline C-5(4)					
VI	Discipline A-6(4)	Choose one from a pool of courses DSE A/B/C (4)	Choose one from a pool of courses GE-6(4)	Choose one SEC OR Internship/Apprenticeship/Project/community outreach (2)		22 Credits
	Discipline B-6(4)					
	Discipline C-6(4)					
Students on exit shall be awarded Bachelor of (in the Field of Multidisciplinary study) after securing the requisite 132 credits on completion of semester VI						Total = 132 Credits
VII	DSC-(4)	Choose three DSE (3x4) courses OR Choose two DSE (2x4) and one GE(4) course OR Choose one DSE and two GE(4) courses OR All three GE 7,8 & 9 (Total=12)			Dissertation on Major (4+2) OR Dissertation on Minor (4+2) OR Academic project/Entrepreneurship(4+2)	22 Credits

VIII	DSC-(4)	Choose three DSE (3x4) courses OR Choose two DSE (2x4) and one GE(4) course OR Choose one DSE and two GE(4) courses OR All three GE 10,11 & 12 (Total=12)			Dissertation on Major (4+2) OR Dissertation on Minor (4+2) OR Academic project/Entrepreneurship(4+2)	22 Credits
<i>Students on exit shall be awarded Bachelor of (in the Field of Multidisciplinary study) (Honours or Honours with Academic Project/Entrepreneurship) after securing the requisite 176</i>						Total = 176 Credits



SAMPLE COPY FOR FIRST TO FIFTH

ANNEXURE-S-1

Logo in water mark
----- Name of the University -----

GRADE SHEET

Name of the Institute
Address of the Institute
Name of the Programme

Batch	Year
Enrollment No.	Roll No.
Name of the Student	Examination
Father's/Husband's Name	Mother's Name

Programme Code	Programme Title	Credits	Grade	Grade Point	Credit Points (Credits x Grade Point)
	Programme 1	6	A	8	48
	Programme 2	6	C	5	30
	Programme 3	4	B+	7	28
	Programme 4	4	O	10	40
TOTAL		20	-		146
SGPA		146/20			7.30

*Grade in Repeat Examination

RESULT SEMESTER WISE					
SEMESTER	I	II	III	IV	V
TOTAL CREDITS					
OBTAINED CREDITS					
ADDITIONAL CREDITS					
SGPA					
ATTEMPT					
RESULT					

*SGPA Semester Grade Point Average

CGPA Cumulative Grade Point Average Equivalent Percentage = CGPAx10

Date of Result

Registrar / Controller Examination

University
Logo

SAMPLE COPY FOR SIXTH

ANNEXURE-S-2

Logo in water mark

----- Name of the University -----

GRADE SHEET

Name of the Institute
Address of the Institute
Name of the Programme

Batch 2021-25				Year	
Enrollment No.				Roll No.	
Name of the Student				Examination	
Father's/Husband's Name				Mother's Name	
Programme Code	Programme Title	Credits	Grade	Grade Point	Credit Points (Credits x Grade Point)
	Programme 1	6	A	8	48
	Programme 2	6	C	5	30
	Programme 3	4	B+	7	28
	Programme 4	4	O	10	40
TOTAL		20	-		146
SGPA		146/20			7.30

*Grade in Repeat Examination

RESULT SEMESTER WISE					
SEMESTER	I	II	III	IV	V
TOTAL CREDITS					
OBTAINED CREDITS					
ADDITIONAL CREDITS					
SGPA					
ATTEMPT					
RESULT					
FINAL RESULT PASS					
Total Credits	CGPA		EQUIVALENT PERCENTAGE	DIVISION	

CGPA Cumulative Grade Point Average Equivalent Percentage = CGPAx10

Date of Result

Registrar / Controller Examination

University
Logo

SAMPLE COPY FOR SEVENTH SEMESTER

ANNEXURE-S-3

Logo in water mark

----- Name of the University -----

GRADE SHEETName of the Institute
Address of the Institute
Name of the Programme

Batch 2021-25				Year	
Enrollment No.				Roll No.	
Name of the Student				Examination	
Father's/Husband's Name				Mother's Name	
Programme Code	Programme Title	Credits	Grade	Grade Point	Credit Points (Credits x Grade Point)
	Programme 1	6	A	8	48
	Programme 2	6	C	5	30
	Programme 3	4	B+	7	28
	Programme 4	4	O	10	40
TOTAL		20	-		146
SGPA		146/20			7.30

*Grade in Repeat Examination

RESULT SEMESTER WISE					
SEMESTER	I	II	III	IV	V
TOTAL CREDITS					
OBTAINED CREDITS					
ADDITIONAL CREDITS					
SGPA					
ATTEMPT					
RESULT					

FINAL RESULT PASS			
Total Credits	CGPA	EQUIVALENT PERCENTAGE	DIVISION

SGPA Semester Grade Point Average

CGPA Cumulative Grade Point Average Equivalent Percentage = CGPAx10

Date of Result

Registrar / Controller Examination

University
Logo

SAMPLE COPY FOR EIGHTH

ANNEXURE-S-4

Logo in water mark

----- Name of the University -----

GRADE SHEET

Name of the Institute

Address of the Institute

Name of the Programme

Batch 2021-25				Year	
Enrollment No.				Roll No.	
Name of the Student				Examination	
Father's/Husband's Name				Mother's Name	
Programme Code	Programme Title	Credits	Grade	Grade Point	Credit Points (Credits x Grade Point)
	Programme 1	6	A	8	48
	Programme 2	4	C	5	20
	Programme 3	10	B+	7	70
TOTAL		20		-	138
SGPA		138/20			6.90

*Grade in Repeat Examination

RESULT SEMESTER WISE					
SEMESTER	I	II	III	IV	V
TOTAL CREDITS					
OBTAINED CREDITS					
ADDITIONAL CREDITS					
SGPA					
ATTEMPT					
RESULT					

SGPA Semester Grade Point Average

FINAL RESULT PASS			
Total Credits	CGPA	EQUIVALENT PERCENTAGE	DIVISION

CGPA Cumulative Grade Point Average Equivalent Percentage = CGPAx10

Controller of Examination

Registrar

